

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 177 OF 2022**

IN THE MATTER OF:

ABHIST KUSUM GUPTA

... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH

AND ORS.

... RESPONDENTS

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Reply and Action Taken Report on behalf of Yamuna Expressway Industrial Development Authority ('YEIDA')/ Respondent No. 10	1 – 14
2.	Supporting Affidavit	15 – 16
3.	Annexure - R1 Copy of the Government of Uttar Pradesh's Gazette Notification No. 1280/77-3-15-03N/01 dated December 18, 2015 and Gazette Notification No. 14/2018/1648/77-3-18-03N/01 dated May 18, 2018 declaring industrial development area falling within jurisdiction of YEIDA	17 – 20
4.	Annexure - R2 (colly) Super imposed map and Google Map image showing road constructed by YEIDA without in any manner affecting the pond on Khasra No. 601, Village – Moonjkhera	21 – 22
5.	Annexure - R3 Copy of letter dated October 07, 2022 from YEIDA to the District Wetland Authority	23 – 26

6.	Annexure - R4 Copy of the YEIDA CEO's Office Order dated October 28, 2022 directing survey of the ponds	27
7.	Annexure - R5 Copy of the Office Order dated November 23, 2022 by the Office of the District Magistrate, Gautam Budh Nagar reconstituting the District Wetland Committee	28
8.	Annexure - R6 Copy of the minutes of meeting for the District Wetland Committee meeting dated December 12, 2022	29 – 30
9.	Annexure - R7 Copy of the status report of Tehsildar, Jewar dated December 26, 2022 on the removal of alleged encroachments in District Jewar	31 – 39
10.	Annexure - R8 Copy of status report of Tehsildar, Sadar dated December 29, 2022 on removal of alleged encroachments in District Sadar	40 – 43
11.	Annexure - R9 Copy of the Government Order dated June 03, 2016 bearing reference number 32/744/AK-1-2016-20(5)/2016	44 – 59
12.	Annexure - R10 List along with photographs of cleaning and excavation done by YEIDA	60 – 68
13.	Annexure - R11 (Colly) Copies of the tenders issued by YEIDA on June 13, 2022, June 14, 2022, June 20, 2022, July 15, 2022 and September 06, 2022	69 - 78

14.	Annexure - R12 Detailed list dated December 22, 2022 of YEIDA's tender process with village names and number of ponds	79
15.	Annexure - R13 Photographs of the work in process concerning the tenders awarded	80-82
16.	Proof of service	

Pranav

J. SAGAR ASSOCIATES
ADVOCATES FOR RESPONDENT NO. 10/YAMUNA EXPRESSWAY
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY
B-303, 3RD FLOOR, ANSAL PLAZA,
HUDCO PLACE, AUGUST KRANTI MARG
NEW DELHI 110049
Pranav.tanwar@jsalaw.com/+91-8700925031

DATE: 11 January 2023

NEW DELHI

)

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 177 OF 2022
(Under Section 18(1) read with Sections 14 and 15 of the
National Green Tribunal Act, 2010)**

IN THE MATTER OF:

ABHIST KUSUM GUPTA ... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH

AND ORS. ... RESPONDENTS

**REPLY AND ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF
YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL DEVELOPMENT
AUTHORITY/ RESPONDENT NO. 10**

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the present Original Application (“O.A.”) seeks directions for conservation, management, rejuvenation and removal of alleged encroachment over water bodies/ponds in the District of Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh.
2. Vide order dated April 08, 2022, this Hon’ble Tribunal constituted a Joint Committee comprising of concerned officers of the state administration and directed it to submit a factual and action taken report in respect of wetlands/water bodies included in the list annexed to the O.A as Annexure A-6.
3. On August 04, 2022, the Joint Committee submitted its findings and report dated August 02, 2022 to the Tribunal

(“**Joint Committee Report**”). At the hearing on September 06, 2022, the Tribunal took note of the Joint Committee Report and observed that:

- (a) The Joint Committee sought reports only from the revenue authorities and status of all the ponds has not been verified individually;
- (b) There is no mention regarding measures taken for conservation and restoration of ponds.

Having regard to the facts of the case, the Tribunal decided to implead Yamuna Expressway Industrial Development Authority (“**YEIDA**”) as well as Uttar Pradesh State Ground Water Department and Greater Noida Industrial Development Authority.

- 4. Vide its present reply and action take report, YEIDA seeks to bring on record the status of the ponds falling within its jurisdiction and actions taken by it for conservation, restoration and removal of alleged encroachments.
- 5. The Joint Committee Report pertains to status of ponds of three Tehsils in District Gautam Budh Nagar namely Sadar, Jewar and Dadri. However, the Joint Committee in its Report does not classify the ponds in these Tehsils based on jurisdictions of different development authorities.
- 6. It is pertinent to mention that of these 3 Tehsils in Gautam Budh Nagar, YEIDA has jurisdiction over portions of land in Sadar and Jewar only. A copy of the Government of Uttar

Pradesh's Gazette Notification No. 1280/77-3-15-03N/01 dated December 18, 2015 and Gazette Notification No. 14/2018/1648/77-3-18-03N/01 dated May 18, 2018 declaring industrial development area falling within jurisdiction of YEIDA are annexed herein as **Annexure – R1**.

A. STATUS OF THE PONDS

(a) Tehsil – Sadar

7. Of the total area of Tehsil Sadar, only a part falls within YEIDA's jurisdiction and the rest falls within the jurisdiction of NCIDA and Greater NOIDA.

Information regarding ponds in Tehsil – Sadar

(a)	Total No. of Ponds in Tehsil Sadar	245
Status of ponds which falls in jurisdiction of YEIDA		
(b)	Total No. of Ponds	69
(c)	Ponds which are encroachment free	61
(d)	Ponds with encroachment (partial/full)	06
(e)	Old/Village abadi (population) exists at site	02

8. 69 ponds in Sadar falls within YEIDA's jurisdiction, of which 61 are encroachment free.

9. The Joint Committee Report notes that a road has been constructed over 02 ponds in Tehsil Sadar. It is submitted that out of these 02 ponds, only 01 pond on Khasra No. 601, Village – Moonjkhera falls within the jurisdiction of YEIDA. Khasra No. 601 is submerged in water and there currently exists a pond. A road has been constructed by YEIDA without in any

manner affecting the pond. This is evident from the super imposed map and Google Map image which are collectively annexed herein as **Annexure – R2 (colly)**. YEIDA had submitted information in this regard along with the super imposed map to the District Wetland Authority vide a letter dated October 07, 2022. A copy of the letter dated October 07, 2022 is annexed herein as **Annexure – R3**.

(b) Tehsil – Jewar

Information regarding ponds in Tehsil – Jewar

(a)	Total No. of Ponds in Tehsil Jewar	293
Information of ponds which falls in jurisdiction of YEIDA		
(b)	Total No. of Ponds	200
(c)	Ponds which are encroachment free	161
(d)	Ponds with encroachment (partial/full)	20
(e)	Ponds Acquired for Noida International Airport, Jewar	08
(f)	Ponds proposed to be acquired for Noida International Airport in second phase	11

10. There are a total of 293 ponds in Jewar. 200 ponds fall within YEIDA’s jurisdiction, of which 161 are encroachment free. YEIDA has acquired land in Jewar for the development of Noida International Airport. In this acquisition, 08 ponds have been acquired for development purpose. YEIDA has taken measures for substitution of these 08 acquired ponds as explained in para 26 and 27 below.

11. The Joint Committee Report mentions that YEIDA has acquired one other pond. However, this is factually wrong as explained and confirmed in the letter dated October 07, 2022 (Annexure - R3). YEIDA has not acquired any pond in Jewar other than 08 ponds for setting up of Noida International Airport.

5

B. ACTIONS TAKEN BY YEIDA AGAINST ENCROACHMENTS

12. At the outset, it is stated that YEIDA has complied with the orders passed by the Tribunal. YEIDA has taken steps for sustainable management and conservation of the ponds. Taking note of the present proceedings and the orders of the Tribunal, the CEO of YEIDA, vide Office order dated October 28, 2022, has directed that:

- (i) The officers of YEIDA will co-ordinate with District and Revenue Administration for expedite removal of encroachments on ponds in relation to which proceedings under Section 67 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (“**U.P. Revenue Code**”) are ongoing.
- (ii) A survey will be done for all the ponds falling within YEIDA’s jurisdiction. The survey will record the ponds which are affected by encroachments and necessary measures under the U.P. Revenue Code will be undertaken. After removal of encroachments, YEIDA

will undertake measures for restoration, cleaning and beautification of such ponds.

- (iii) Ponds, which are not affected by encroachment, will be cleaned and restored.

It is submitted that YEIDA has already started the survey of the ponds. Until now, 18 ponds have been surveyed and necessary measures are undertaken.

A copy of the CEO's Office Order dated October 28, 2022 is annexed herein as **Annexure – R4**.

13. Further, in its order dated October 12, 2022, the Tribunal had directed the District Magistrate, Gautam Budh Nagar to convene meetings of the District Wetland Committee with the CEOs of NOIDA, GNIDA and YEIDA as Special Invitees. In compliance with such a direction, the Office of the District Magistrate, Gautam Budh Nagar vide Office Order dated November 23, 2022 reconstituted the District Wetland Committee and included officers nominated by CEOs of NOIDA, GNIDA and YEIDA in the list of members. A copy of the Office Order dated November 23, 2022 issued by the Office of the District Magistrate, Gautam Budh Nagar is annexed herein as **Annexure – R5**.

14. In its meeting dated December 12, 2022, the re-constituted District Wetland Committee, after taking into consideration the directions of the Tribunal in the present proceedings, inter alia decided that:

- (i) Steps will be taken to ensure the uniformity of data among different authorities regarding ponds in Gautam Budh Nagar;
- (ii) Co-ordinated action will be taken by the Authorities under the applicable laws to remove alleged encroachments over the ponds;
- (iii) Year wise Google Images of water bodies will be collated; and,
- (iv) Information regarding ponds which are of size 2.25 Hect. or larger be collected and reported to Divisional Forest Officer.

A copy of the minutes of meeting for the District Wetland Committee meeting dated December 12, 2022 is annexed herein as **Annexure – R6**.

15. It is stated that YEIDA is committed to the conservation, restoration and rejuvenation of water bodies falling within its jurisdiction. The Applicant's assertion that the acts and omissions of the Respondents are impacting the ecology of the region irreparably is baseless, false and thus, denied.

16. Further, actions related to conservation, restoration, rejuvenation and removal of encroachments over water bodies are undertaken by state departments, wetland committee, district administration and development authorities in coordination with each other.

(a) *Procedure for removal of encroachment*

17. Under Section 54 of the U.P. Revenue Code, all rivers, streams, nallas, lakes, ponds, tanks, canals, water channels, standing and flowing water, except insofar as any rights of any persons may be established in or over the same, are property of the State Government.

18. Section 59(1) of the U.P. Revenue Code provides that the State Government may entrust the things vested with it to a Gram Panchayat or "local authority". Section 59(2) provides a list of things that are permitted to be entrusted by the State Government. Sub-clause (v) to Section 59(2) includes tanks and ponds in the list of things that can be entrusted by the State Government to a "local authority".

19. Vide notification dated December 28, 2020, the State of Uttar Pradesh amended Section 59 to include different development authorities, including NOIDA, GNIDA and YEIDA, within the purview of "local authority".

20. Under Section 67 of the U.P. Revenue Code, if land entrusted with the Gram Panchayat or a local authority is wrongfully occupied or encroached, the following procedure is followed for the removal of encroachment:

(i) The Bhumi Prabandhak Samiti or other authority or the Lekhpal concerned shall inform the Assistant Collector concerned about such an encroachment.

(ii) The Assistant Collector issues a notice to the person concerned to show cause why compensation for

encroachment be not recovered from him and why he should not be evicted from such land.

- (iii) If the person to whom a notice has been issued fails to show cause, the Assistant Collector may direct that such person shall be evicted from the land and may direct that the amount of compensation be recovered from such person.
- (iv) Any person aggrieved by an order of the Assistant Collector can prefer an appeal to the Collector.

21. Thus, it is the Revenue Authority and the District Administration that have been entrusted with the power to remove encroachments over the water bodies. YEIDA is coordinating with the Revenue Authority and the District Administration for removal of any encroachments over ponds falling within its jurisdiction.

(b) *Actions taken for rejuvenation, restoration and removal of alleged encroachments by YEIDA*

22. There are 20 ponds in Jewar and 06 ponds in Sadar within YEIDA's jurisdiction affected by encroachments. YEIDA has taken active steps for removal of encroachments with the assistance of District Administration.

23. As per the information received from the Office of Tehsildar, Jewar dated December 26, 2022, the legal proceedings for the removal of 20 encroachments in Jewar under Section 67, Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 are either pending adjudication

before the Court of Tehsildar or the Tehsildar has passed an order for removal of encroachment and the execution proceedings thereof are pending.

10

S. No.	Status	No. of ponds
1.	Order for removal of encroachment passed by the Court of Tehsildar, Jewar. Execution proceedings pending.	01
2.	Proceedings for removal of encroachment are pending before the Court of Tehsildar, Jewar	19

A copy of the status report of Tehsildar, Jewar dated December 26, 2022 on the removal of alleged encroachments in District Jewar is annexed herein as **Annexure – R7**.

24. Similarly, the legal proceedings for removal of 06 encroachments in Sadar are pending adjudication before Tehsildar, Sadar.

A copy of the a status report of Tehsildar, Sadar dated December 29, 2022 on removal of alleged encroachments in District Sadar is annexed herein as **Annexure – R8**.

25. As and when the final decision is received from Tehsildar, Jewar and Sadar, suitable action will be taken by YEIDA in coordination with the District Administration.

26. Vide its government order dated June 03, 2016, the Uttar Pradesh Government has directed that in case ponds/ water

bodies are acquired for development purposes, alternate water bodies of size 25% larger be excavated. A copy of the Government Order dated June 03, 2016 bearing reference number 32/744/AK-1-2016-20(5)/2016 is annexed herein as **Annexure – R9.**

27. With regards to the substitution of 08 ponds admeasuring 2.1880 hectares acquired for Noida International Airport, YEIDA has excavated 07 artificial ponds admeasuring 5.6015 hectares (156% larger), more than twice the area of the 08 ponds acquired for development purposes, which is far in excess of the area prescribed by the aforesaid government order.

The details of the acquired ponds and the substitution process is given below:

Details of ponds acquired for Noida International Airport				Details of alternate water bodies/ ponds					
S. No.	Village	Gata No.	Area (in Hectares)	S. No.	Village	Khata No.	Gata No.	Area (in Hectares)	Status quo of excavation
1	Rohi	398	0.0630	1	Akalpur	239	297	1.3590	1.1730
2	Rohi	542Kha	0.1900	2	Falaida Bangar	647	746Kha	2.5630	2.2695
3	Rohi	598	0.1900	3	Taquipur Bangar	338	236M	0.0760	0.0760
4	Rohi	550	0.2400	4	Taquipur Bangar	336	236M	0.0410	0.0410

5	Rohi	969	0.0890	5	Taquipur Bangar	338	237M	0.0250	0.0250
6	Rohi	552	0.2530	6	Taquipur Bangar	336	242	1.0120	1.0120
7	Rohi	337	0.4550	7	Taquipur Bangar	338	246	1.0050	1.0050
8	Dayanat Pur	1454	0.7080	8	Taquipur Bangar	338	277M	0.2020	-
				9	Taquipur Bangar	336	277M	0.0540	-
		Total area	2.1880 (Hect.)				Total area	6.3370 (Hect.)	5.6015 (Hect.)

28. In addition, YEIDA has conserved and maintained ponds through restoration and cleaning. Since 2019-20, YEIDA has restored and cleaned ponds in the following villages of Gautam Budh Nagar:

S. No.	Village	Number of ponds
1.	Kherli Bhav	1
2.	Maksudpur	1
3.	Falaida Bangar	1
4.	Dungarpur Rilka	1
5.	Mutaina	1
6.	Parsaul	2
7.	Thasrana	1
8.	Dugli	2

9.	Mehandipur	1
10.	Chowki	1
11.	Dayantpur	2
12.	Birampur	2
13.	Kureb	2
14.	Nagla Jhanu	1
15.	Nagla Hukam Singh	1
16.	Mayana	1
17.	Akalpur	1
18.	Murad Garhi	1
19.	Mahammadabad Khera	1
20.	Amirpur	1
21.	Latifpur Bhangar	1
Total Ponds		26

A list with photographs of cleaning and excavation done by YEIDA of 26 ponds is annexed herein as **Annexure – R10**.

29. Further, for 2022-2023 session, YEIDA has issued various tenders for cleaning and restoration of 33 ponds in 25 villages. Of these 33 ponds, tenders have already been awarded for 29 ponds and tenders for 04 villages are in process. Copies of the tenders issued by YEIDA on June 13, 2022, June 14, 2022, June 20, 2022, July 15, 2022 and September 06, 2022 are collectively annexed herein as **Annexure – R11**.

Additionally, a detailed list dated December 22, 2022 of YEIDA's tender process with village names and number of ponds is annexed herein as **Annexure – R12**.

The photographs of the work in process concerning the tenders awarded are annexed herein as **Annexure – R13**.

30. YEIDA understands the importance of the pond ecosystem in Gautam Budh Nagar. Basis the actions mentioned above and the documents annexed herein, it is humbly submitted that YEIDA is committed to the preservation of wetlands and water bodies falling within its jurisdiction. YEIDA is duly following the present proceedings and has complied with the orders of this Tribunal.

31. It is, therefore, humbly prayed that the Tribunal may graciously be pleased to take this reply and action taken report on record.



**RESPONDENT NO. 10/ YAMUNA EXPRESSWAY
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY**

THROUGH



**J. SAGAR ASSOCIATES
ADVOCATES FOR THE RESPONDENT
B-303, 3RD FLOOR, ANSAL PLAZA,
HUDCO PLACE, AUGUST KRANTI MARG
NEW DELHI 110049
+91-8700925031**

DATE: 11 JANUARY 2023

PLACE: NEW DELHI

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
Original Application No. 177 OF 2022**

IN THE MATTER OF:

ABHIST KUSUM GUPTA

... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH AND ORS.

... RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, Shubham Pundeer, S/o Sh. Sarvajeet Singh, aged about 30 years, being the Authorized Representative of Yamuna Expressway Industrial Development Authority, having its office at First Floor, Commercial Complex, P-2, Sector – Omega – I, Greater Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh - 201309, presently at New Delhi, do hereby solemnly declare on oath and state as under:

1. I am working as the Project Manager with the Yamuna Expressway Industrial Development Authority. I am well conversant with the facts and circumstance of the instant case, hence, am competent to swear this affidavit.
2. The accompanying reply and action taken report has been drafted under instructions of Yamuna Expressway Industrial Development Authority and I have read and understood the contents of the accompanying reply and action taken report.



3. I say that the facts and submissions made therein are true and correct. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



[Handwritten Signature]

DEPONENT

VERIFICATION

11 JAN 2023

I, the deponent abovenamed, do hereby verify that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

11 JAN 2023

Verified at New Delhi on this ___ day of January, 2023.

Pranav
I identified the deponent who has signed in my presence.

CERTIFIED THAT THE DEPONENT
Shri/Smt./Kmr. *Srinivasulu*
S/o, W/o R/o *Srinivasulu*

[Handwritten Signature]
DEPONENT

Identified by Shri/Smt. *Pranav*
Has solemnly affirmed before me at
Delhi on *11* as St. No. *11*
That the contents of the affidavit which
have been read & explained to
him are true & correct to his knowledge

NOTARY

11 JAN 2023

उत्तर प्रदेश गजट 23 जनवरी 2016 ई0 (भाग 3, 1937 भाग 2021)

1	2	3	4
13	रिहली बागर	जेवर	गीतगबुद्धनगर
14	भेहन्दीपुर बागर	जेवर	गीतगबुद्धनगर
15	भाईपुर ब्रह्मनाथ	जेवर	गीतगबुद्धनगर
16	गोहम्मदशाह खेडा	जेवर	गीतगबुद्धनगर
17	एकतापुर	जेवर	गीतगबुद्धनगर
18	चक्रजलालाबाद	जेवर	गीतगबुद्धनगर
19	रौकीजा	जेवर	गीतगबुद्धनगर
20	निलीनी शाहपुर	जेवर	गीतगबुद्धनगर
21	गूजाखेडा	सदर	गीतगबुद्धनगर
22	गुनापुरा	सदर	गीतगबुद्धनगर
23	गुरताफाबाद	सदर	गीतगबुद्धनगर
24	रत्नापुर	सदर	गीतगबुद्धनगर
25	रामपुरा	जेवर	गीतगबुद्धनगर
26	उदटा गुजरात	सदर	गीतगबुद्धनगर
27	औरंगापुर	सदर	गीतगबुद्धनगर
28	गोहम्मदपुर गूजर	सदर	गीतगबुद्धनगर
29	गोहम्मदपुर	सदर	गीतगबुद्धनगर
30	दखराना	सदर	गीतगबुद्धनगर
31	गदटा	सदर	गीतगबुद्धनगर
32	गधुरापुर	सदर	गीतगबुद्धनगर
33	गदला कला	सदर	गीतगबुद्धनगर
34	कतेहपुर अदटा	सदर	गीतगबुद्धनगर
35	गदला	सदर	गीतगबुद्धनगर
36	काठपुर	सदर	गीतगबुद्धनगर
37	बादपुर	सदर	गीतगबुद्धनगर
38	चंरनी गांव	सदर	गीतगबुद्धनगर
39	खुहेडी मुहीउददीनपुर	सदर	गीतगबुद्धनगर
40	कादरपुर गीजामपुर	सदर	गीतगबुद्धनगर
41	उतसावली	जेवर	गीतगबुद्धनगर
42	गोहम्मदपुर जादीन	जेवर	गीतगबुद्धनगर
43	हाजीपुर	जेवर	गीतगबुद्धनगर
44	फाजिलपुर	जेवर	गीतगबुद्धनगर
45	गोहम्मदपुर	जेवर	गीतगबुद्धनगर
46	मुहम्मदपुर	जेवर	गीतगबुद्धनगर

4.3/5-8

गो.सं. 1

उत्तर प्रदेश राजपत्र 23 जनवरी 1956 ई० (भाग 3, 1037 भाग संवत्)

1	2	3	4
47	बालीपुर बाग	खदर	गौतमबुद्धनगर
48	गुरदागढ़ी	जेवर	गौतमबुद्धनगर
49	चम्पतीरामपुर	जेवर	गौतमबुद्धनगर
50	आना	जेवर	गौतमबुद्धनगर
51	आठलपुर	जेवर	गौतमबुद्धनगर
52	बीरगपुर	जेवर	गौतमबुद्धनगर
53	शाहपुर नगला	जेवर	गौतमबुद्धनगर
54	बुहैना	जेवर	गौतमबुद्धनगर
55	खूँदा	जेवर	गौतमबुद्धनगर
56	पचोकरा	जेवर	गौतमबुद्धनगर
57	गरुडन	सिकन्दराबाद 2700	बुलन्दशहर
58	अम्बेपुर बाँगर	सिकन्दराबाद 2000	बुलन्दशहर
59	भुनोपुर	सिकन्दराबाद 1900	बुलन्दशहर
60	धैराना	सिकन्दराबाद 1950	बुलन्दशहर
61	ख जपुर अमोनाबाद उप कजीरगढ़ी /	सिकन्दराबाद 1700	बुलन्दशहर
62	चौकी	सिकन्दराबाद 1500	बुलन्दशहर
63	हरमनतपुर	जेवर	गौतमबुद्धनगर
64	मन्दा	जेवर	गौतमबुद्धनगर
65	गुल्हर	जेवर	गौतमबुद्धनगर
66	कलापुर	जेवर	गौतमबुद्धनगर
67	भीमनपुर	जेवर	गौतमबुद्धनगर
68	कमलपुर	जेवर	गौतमबुद्धनगर
69	अमिताबा	जेवर	गौतमबुद्धनगर
70	भुल्लो	जेवर	गौतमबुद्धनगर
71	झाझर	जेवर 2800	गौतमबुद्धनगर
72	खलपुर इकतेला	सिकन्दराबाद 1600	बुलन्दशहर
73	जामपुर उप जैदपुर अजयनगर	जेवर	गौतमबुद्धनगर
74	अबनपुर बलाका	जेवर	गौतमबुद्धनगर
75	शिदोली खादर	जेवर	गौतमबुद्धनगर
76	अन्धरगढ बागर	जेवर	गौतमबुद्धनगर
77	सापुर खादर	जेवर	गौतमबुद्धनगर
78	मकनपुर बाँगर	जेवर	गौतमबुद्धनगर
79	लदोफपुर बाँगर	जेवर	गौतमबुद्धनगर
80	लदोफपुर खादर	जेवर	गौतमबुद्धनगर

आशा है
सो सिकन्दराबाद 1600
गौतमबुद्धनगर

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-3
संख्या-14/2018/16-18/77-3-18-03एन/01
तखनऊ: दिनांक 18 मई, 2018

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के अन्तर्गत पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (1) के परन्तुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से सरकारी अधिसूचना संख्या-1280/77-3-18-03एन/01, दिनांक 18 12 15 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

पुर्वोक्त अधिसूचना में गानों की सूची में, क्रम संख्या-80 की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टिया स्तम्भवार बढा दी जायेगी :-

क्र.सं०	ग्राम का नाम	तहसील	जिला
1	2	3	4
81.	दस्तमपुर	जेवर	गौतमबुद्धनगर
82.	धनसिया	जेवर	गौतमबुद्धनगर
83.	दथौरा	जेवर	गौतमबुद्धनगर
84.	पटानगर धौरोही	जेवर	गौतमबुद्धनगर
85.	हुँकापुर	जेवर	गौतमबुद्धनगर
86.	धौरोही	जेवर	गौतमबुद्धनगर
87.	रोही	जेवर	गौतमबुद्धनगर
88.	किशोरपुर	जेवर	गौतमबुद्धनगर
89.	मुक्तीपुर शिवारा	जेवर	गौतमबुद्धनगर
90.	साबौता मुस्तफाबाद	जेवर	गौतमबुद्धनगर
91.	रामनेर	जेवर	गौतमबुद्धनगर
92.	बनवारीबास	जेवर	गौतमबुद्धनगर
93.	ख्वाजपुर	जेवर	गौतमबुद्धनगर
94.	धौरा	जेवर	गौतमबुद्धनगर
95.	नीमका शाहजहाँपुर	जेवर	गौतमबुद्धनगर
96.	जेवर बागर	जेवर	गौतमबुद्धनगर


आज्ञा है,

शीताराम यादव
संयुक्त सचिव।


- 1 यह आरनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जरी प्रिन्टिंग मध्य है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2 इस आरनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shassanadeeshahar.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Annexure R-2 (Colly)

शह-मून खेडा, तह सयल 93 (2)



Vill- Moony Khera



५८

22

Annexure R-3



पत्रांक : वाई0ई0आई0डी0ए0/उप महाप्रबंधक (परि0)/2022/866

दिनांक 07/09/2022

सेवा में,

✓ प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव,
जिला वेटलेण्ड समिति,
ई-1, सैक्टर-1, नौएडा
जनपद- गौतमबुद्ध नगर।

विषय :-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में याजित ओ0ए0 संख्या 177/2022 अमीष्ठ कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.04.2022 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त के क्रम में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा पत्रांक संख्या- YEIDA/GM(Proj)/2022/862 दिनांक 29.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

प्रेषित सूचना के प्रस्तर-ए0 में सदर तहसील की सूचना में क्रम संख्या-05 एवं जेवर तहसील की प्रेषित सूचना के बिन्दु संख्या-05 पर स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की जा रही है:-

Information Regarding Ponds in Tehsil- Sadar

S. No.	Information As Per Revenue Dept.	Information of Ponds falls in YEIDA			
		No. of Ponds	No. of Ponds		
5	Road has been constructed मूंजखेड़ा खसरा संख्या-601 रकबा 0.3410 पोखर के 1/2 भाग पर यमुना एक्सप्रेसवे सड़क बनी हुई है।	2	Road has been constructed	-	यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत सदर तहसील के ग्राम मूंजखेड़ा के खसरा संख्या-601 पर जलमग्न भूमि/पोखर है जो प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित नहीं है। इस पोखर से लगती हुई प्राधिकरण की 120मीटर सड़क निर्मित है। संलग्न स्थल के सुपरइम्पोज्ड मानचित्र से भी स्पष्ट है कि स्थल पर निर्मित सड़क खसरा संख्या-601 से बाहर है। इस प्रकार प्राधिकरण द्वारा किसी भी पोखर के उपर अथवा उसके भाग पर सड़क निर्मित नहीं की गयी है।

क्रमशः

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉर्पोरेट कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-पी-2, सेक्टर ओमेगा-1, ग्रेटर नौएडा सिटी - 201308, गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)
दूरभाष न0 - 0120 - 2395153, फैक्स न0 - 0120 - 2395150

१९

Information Regarding Ponds in Tehsil- Jewar

S. N o.	Information As Per Revenue Dept.		Information of Ponds falls in YEIDA		
		No. of Ponds		No. of Ponds	
5	YEIDA Authority Acquisition	01	YEIDA Authority Acquisition	-	जेवर तहसील के अन्तर्गत प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम बनवारीबॉस के खसरा संख्या-16 पर जलमग्न भूमि/पोखर दर्ज है, जिसके आंशिक भाग पर हुए अस्थायी अतिक्रमणों को हटाये जाने के सम्बन्ध में जिला प्रशासन के माध्यम से धारा-67 की कार्यवाही कराते हुए मौके पर चिन्हांकन उपरान्त उनको हटाये जाने की कार्यवाही की जानी है।

कृपया उपरोक्त सूचना का समावेश पूर्व प्रेषित सूचना कार्यालय पत्रांक संख्या-YEIDA/GM(Proj)/2022/862 दिनांक 29.09.2022 में करते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करे।

संलग्नक:- 02 पृष्ठों में।

(के०के० सिंह)

महाप्रबन्धक (परि०)

प्रतिलिपि:-

1. स्टाफ ऑफिसर को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के संज्ञानार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(आर०) महोदय को सूचनार्थ।
3. उप जिलाधिकारी (सदर/जेवर) को सूचनार्थ।
4. उप महाप्रबन्धक (परि०) को सूचनार्थ।
5. उप निदेशक (उद्यान) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

महाप्रबन्धक (परि०)

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण


प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-पी-2, सेक्टर ओमेगा-1, ग्रेटर नोएडा सिटी - 201308, गीतमयुद्धनगर (उ०प्र०)

दूरभाष न० - 0120 - 2395153, फैक्स न० - 0120 - 2395150

१९

ग्राम-भूमि खेडा, तह सयल

(2)



१९



Bhu-Naksha (Indi...
upbhunaksha.gov.in



BhuNaksha (Uttar Pradesh)



बगवतीवाहा, जेवर तहसील

16

Plot Info



खाता संख्या : 00093

खसरा संख्या : 16मि

क्षेत्रफल(हे.) : 0.063

खाता संख्या : 00099

खसरा संख्या : 16मि

क्षेत्रफल(हे.) : 0.063

खातेदार का नाम :

00093

1 :- नाम : पोखर

संरक्षक का नाम: 00

निवास स्थान : 00

खातेदार का नाम :

00099

1 :- नाम : होली का

दहन संरक्षक का नाम:

निवास स्थान :

प्लॉट नं. 141 गौतम बुद्ध नगर, तहसील : 00744 जेवर, गाँव : 12040

यह प्रति मात्र जानकारी के लिए है। 2. इसका न्यायालय में साक्ष्य के

रूप में है। 3. भू-नक्शा की प्रमाणित प्रति के लिए कृपया जनपदीय अ

27

Annexure R-4



28

पत्रांक- वाई.ई.आई.डी.ए. / मु0का03आ0 / G.M.(PROJ) / 2022/871

दिनांक: 28/10/2022

कार्यालय आदेश


माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली, द्वारा ओ.ए. संख्या-177/2022 अभिष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 व दिनांक 12.10.2022 के अनुपालन में निम्न कार्यवाही की जानी है:-

1. जिला वेटलैंड समिति की संयुक्त आख्या के अनुसार प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र (96 ग्राम जहाँ ग्राम पंचायत नहीं है) में तालाबों के सम्बन्ध में जहाँ भी अतिक्रमण से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के अनुसार सक्षम न्यायालय में वाद दर्ज है, ऐसे प्रकरणों पर मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों एव की जा रही कार्यवाही का अनुश्रवण किया जाये एवं अतिक्रमण हटाने में जिला प्रशासन को सहयोग दिया जाये।
2. प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र (96 ग्राम, जहाँ ग्राम पंचायत नहीं है) में स्थित तालाबों का सर्वे 02 माह में किया जाये और जहाँ भी अतिक्रमण पाया जाता है, उन सभी प्रकरणों में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के अनुसार सक्षम न्यायालय में वाद दर्ज कराया जाये। तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के उपरान्त तालाबों की खुदाई व सौंदर्यीकरण की कार्यवाही का चरणबद्ध तरीके से योजना बनाकर क्रियान्वयन किया जाये।
3. जो तालाब अतिक्रमण से मुक्त है, उन तालाबों की खुदाई व सौंदर्यीकरण की कार्यवाही का चरणबद्ध तरीके से योजना बनाकर क्रियान्वयन किया जाये।

उक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही परियोजना विभाग व भूलेख विभाग द्वारा की जायेगी, जिसका अनुश्रवण विशेष कार्याधिकारी (भूलेख) एवं महाप्रबन्धक (परियोजना) द्वारा किया जायेगा।

उक्त आदेश तत्काल से प्रभावी होगा।

भवदीय


(डा0 अरुण वी सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एम0/आर0) को सूचनार्थ प्रेषित।
2. विशेष कार्याधिकारी (एस.के.एस/एस.एस.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. महाप्रबन्धक (परियोजना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉन्फिडेंट ऑफिस, ब्लॉक-पी-2, सेक्टर-ओपेन-1, ग्रेटर नोएडा सिटी-201 308

२९

Annexure R-5

कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर
पत्रांक 2666 दिनांक 16-11-2022 गौतमबुद्धनगर 23-11-2022।
कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत रागरत जनपदों में वेटलैण्ड के सर्वे, चिन्हांकन, संरक्षण एवं चिरन्तर (सस्टेनेबुल) उपयोग हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-757/14-4-2009 दिनांक 25 मार्च 2009 द्वारा जिला स्तरीय रागिति का गठन किया गया है। जिला स्तरीय वेटलैण्ड समिति के सदस्यगण निम्नरत हैं:-

(क) जिलाधिकारी	-	अध्यक्ष।
(ख) जिला कृषि अधिकारी	-	सदस्य।
(ग) अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग	-	सदस्य।
(घ) मत्स्य अधिकारी	-	सदस्य।
(च) प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक	-	सदस्य सचिव।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 177/2022, अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12-10-2022 के निर्देश के क्रम जनपद में वेटलैण्ड के सर्वे, चिन्हांकन, संरक्षण एवं चिरन्तर (सस्टेनेबुल) उपयोग हेतु में जिला स्तर पर वेटलैण्ड समिति के पुर्नगठन की आवश्यकता है। अतः समिति के उक्त सदस्यों के साथ-साथ समिति में निम्न अधिकारियों को भी सम्मिलित करने के आदेश निर्गत किये जाते हैं:-

(क) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना	द्वारा अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी से अभिन्न नामित अधिकारी	-	सदस्य।
(ख) मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर		-	सदस्य।
(ग) अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व गौतमबुद्धनगर		-	सदस्य।
(घ) समस्त उप जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर		-	सदस्य।
(ङ) क्षेत्राधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, नोएडा		-	सदस्य।
(च) क्षेत्राधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा		-	सदस्य।
(छ) जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर		-	सदस्य।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 2666 / दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-10-2022 के अनुपालन में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा ओ0एस0डी0 से अभिन्न अधिकारियों को नामित करते हुए उनके नाम, पदनाम तथा मोबाईल न0 सूचित करने की कृपा करें।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 2666 / दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव जिला वेटलैण्ड समिति।
3. समस्त सदस्यगण जिला वेटलैण्ड समिति।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

Annexure R-6

29

कार्यवृत्तः-

माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेफिटनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय प्रति यूनितयन ऑफ इण्डिया व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में **water Bodies** के पुनर्जीवन हेतु कार्य योजनाय तैयार किये जाने के संबंध के संबंध मे निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके कम में दिनांक 09-12-2022 को श्री सुहास एल0वाई जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में जिला वेटलैण्ड समिति की बैठक आहुत की गयी। बैठक में श्री प्रगोद कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर, श्रीमती वंदिता श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी, वित्त/राजस्व गौतमबुद्धनगर तथा समिति के अन्य सदस्यो द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी, /सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में स्थित तालाबों, झीलो, एवं वेटलैण्डस के पुनर्जीवन हेतु कार्ययोजना उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय के विभिन्न पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया गया था किन्तु वांछित कार्ययोजना उपलब्ध नहीं करायी गयी। बैठक में समिति अध्यक्ष द्वारा निम्न निर्देश दिये गये।

1. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेफिटनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय प्रति यूनितयन ऑफ इण्डिया व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में **Water Bodies** के पुनर्जीवन हेतु कार्य योजनाय तैयार किये जाने के संबंध मे निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके कम में प्रपत्र-2 में सूचना प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय में उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित थी। इस संबंध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 177/2022, अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12-10-2022 में जनपद में स्थित तालाबों की संख्या निम्न प्रकार अंकित की गयी है।

जनपद में स्थित तालाबों की संख्या का विवरण										
क्र0	नोएडा प्राधिकरण	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	यमुना प्राधिकरण	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	नगर निकाय	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	ग्राम पंचायत	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना
1	67	0	281	107	277	0	32	0	361	249

बैठक में निर्देश दिये गये कि समस्त तालाबों की सूचना प्रपत्र-2 में एक सप्ताह के अन्दर प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, एवं जिला पंचायतराज अधिकारी गौतमबुद्धनगर, नगरपालिका/समस्त नगर पंचायत)

2. पूर्व बैठक में विगत वर्षों की वर्षवार गूगल इमेज निकलवाने हेतु निर्देश दिये गये थे किन्तु वांछित कार्यवाही नहीं की गयी निर्देश दिये गये कि उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाये। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, समस्त उप जिलाधिकारी)

3. बैठक में उपस्थित नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारी को निर्देश दिये गये कि तालाबों की संख्या एवं उनके पुनर्ग्रहित की स्थिति स्पष्ट करने तथा उपजिलाधिकारी दादरी से सम्पर्क कर तालाबों की स्थिति में कोई भिन्नता न रहे यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये।

(समस्त प्राधिकरण)

4. बैठक में ग्रेटर नोएडा/यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की समीक्षा करने पर यह विन्दु प्रकाश में आया कि तालाबों की संख्या उप जिलाधिकारी की रिपोर्ट से भिन्न है। निर्देश दिये गये कि औद्योगिक अधिनियम की धारा-10, अन्य विधि सम्मत नियमों तथा आदेशों के कम में अतिक्रमित तालाबों यथा शीघ्र संयुक्त अभियान चालकर खाली कराने की कार्यवाही कर वांछित सूचना उपलब्ध करायी जाये साथ संबंधित उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित किया जाये कि तालाबों की संख्या में कोई भिन्नता न रहे।

(कार्यवाही ग्रेटर नोएडा/यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण/उपजिलाधिकारी जेवर)

5. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि विगत वर्षों में जनपद में तालाबों सुदृढीकरण करने के संबंध में कार्य किये गये हैं। उन तालाबों को सूचीबद्ध कर मय फोटोग्राफ के उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, समस्त उपजिलाधिकारी)

6. जनपद में स्थित 2.25 हेक्टर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल की सूचना भी प्राथमिकता के आधार निर्धारित प्रपत्र में प्रभागीय वनाधिकारी, कार्यालय में उपलब्ध करायी जाये।

प्रारूप

क्र०सं०	तहसील का नाम	वेकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	गाटा संख्या / स्वामित्व	वर्तमान स्थिति	गूगल इमेज
1	2	3	4	5	6		

(कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त प्राधिकरण)

7. तालाबों में निहित गाटा संख्या का विवरण दिया जाये तथा इसका भौतिक सत्यापन एक सप्ताह के अन्दर कराया जाये। (कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त प्राधिकरण)

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।


जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर

कार्यालय

जिलाधिकारी

गौतमबुद्धनगर

पत्रांक: 2022/10-1

दिनांक

गौतमबुद्धनगर

2022।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया संबंधितों को यथोचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें:-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा आद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण।


जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक

2022/10-1

दिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी गौतमबुद्धनगर
2. अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व गौतमबुद्धनगर
2. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव गौतमबुद्धनगर
3. उपजिलाधिकारी दादरी/सदर/जेवर
4. क्षेत्राधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा।
5. क्षेत्राधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।
6. जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
7. अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर।
8. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर।


जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर

उप जिलाधिकारी, जेवर कार्यालय के पत्रांक 328/रा0नि0कार्या0/2022 दिनांक10.10.2022 के द्वारा संशोधित कुल 293 तालाब/पोखरों की शैतिक सत्यापन एवं कृत कार्यवाही के विवरण/सूची के अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्रा0 के अन्तर्गत पड़ने वाले अतिक्रमित तालाबों/पोखरों का विवरण।

दि0. 26.12.2022

क्र सं0	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	Name of Village (English)	Khasra No.	Area (In Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटाये जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company / PSU	शैतिक सत्यापनकर्ता लेखपाल का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	JEWAR	मुन्नातगा	BHUNNATAGA	197	0.9170	पोखर	आंशिक भाग पर स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में उ0प्रा0 रा0संहिता 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली के आदेश पारित किए गये। नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है।	टी2017112771032358 ग्राम सभा बनाम गोपाल 11.09.2021	—	के0के शर्मा	यमुना प्रा0
2	JEWAR	म्याना	MAYANA	338	1.1000	पोखर	आंशिक भाग पर स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में उ0प्रा0 रा0संहिता 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचाराधीन है। यथाशीघ्र शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	मकान, शनिदेव व देवी मन्दिर बना है।	—	के0के शर्मा	यमुना प्रा0
3	JEWAR	म्याना	MAYANA	710	0.3410	पोखर	आंशिक भाग पर स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में उ0प्रा0 रा0संहिता 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचाराधीन है। यथाशीघ्र शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	—	—	के0के शर्मा	यमुना प्रा0
4	JEWAR	रन्हरा	RANHERA	580	0.6320	पोखर	आंशिक भाग पर स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में उ0प्रा0 रा0संहिता 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचाराधीन है। यथाशीघ्र शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	नोएडा एयरपोर्ट के अन्तर्गत द्वितीय चरण में पुनर्गृहीत किया जाना प्रस्तावित है।	—	पवन कुमार दूबे	यमुना प्रा0

Annexure R-7

31

तहसीलदार
जेवर

उपजिलाधिकारी
जेवर

10

उप जिलाधिकारी, जेवर कार्यालय के पत्रांक 328/रा0नि0कार्या0/2022 दिनांक 10.10.2022 के द्वारा संशोधित कुल 293 तालाब/पोखरों की भौतिक सत्यापन एवं कृत कार्यवाही के विवरण/सूची के अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्रा0 के अन्तर्गत पड़ने वाले अतिक्रमित तालाबों/पोखरों का विवरण।

दि0 26.12.2022

32

क्र0 स0	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	Name of Village (English)	Khasra No.	Area (In Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटाये जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company / PSU	भौतिक सत्यापनकर्ता लेखपाल का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	JEWAR	रन्हेरा	RANHERA	970	2.8960	पोखर	आंशिक भाग पर स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में उ0प्र0 रा0संहिता 2008 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु याद विचारधीन है। यथाशीघ्र शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी। 2017112771033430 ग्राम समा बनाम रोहताश, 2017112771033423 ग्राम समा बनाम निरंजन, 2017112771033425 ग्राम समा बनाम धर्मवीर, 2017112771033424 ग्राम समा बनाम विजयपाल सिंह, 2017112771033510 ग्राम समा बनाम रतन सिंह, 2017112771033431 ग्राम समा बनाम महीपाल, 2017112771033512 ग्राम समा बनाम हरपाल, 2017112771033513 ग्राम समा बनाम सूखा, 2017112771033432 ग्राम समा बनाम घनं सिंह, 2017112771033429 ग्राम समा बनाम सूखे सिंह विचारधीन है। टी2017112771033427 ग्राम समा बनाम हरपाल 25.03.2021, टी2017112771033428 ग्राम समा बनाम जगदीश, 25.03.2021 टी2017112771033426 ग्राम समा बनाम गजेन्द्र 25.03.2021 बेदखली के आदेश पारित	नोएडा एयरपोर्ट के अन्तर्गत द्वितीय चरण में पुनर्गृहीत किया जाना प्रस्तावित है।	-	पवन कुमार दूबे	यमुना प्रा0

32

[Handwritten Signature]

तहसीलदार
जेवर

उपजिलाधिकारी
जेवर

11

उप जिलाधिकारी, जेवर कार्यालय के पत्रांक 328/रा0नि0कार्या0/2022 दिनांक10.10.2022 के द्वारा संशोधित कुल 293 तालाब/पोखरों की भौतिक सत्यापन एवं कृत कार्यवाही के विवरण/सूची के अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्रा0 के अन्तर्गत पड़ने वाले अतिक्रमित तालाबों/पोखरों का विवरण।

दि0 26.12.2022

33

क्र0 स0	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	Name of Village (English)	Khasra No.	Area (In Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नही स्थाई या अस्थायी	हटाये जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company / PSU	भौतिक सत्यापनकर्ता लेखपाल का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	JEWAR	रन्हेरा	RANHERA	972	1.0240	पोखर	आंशिक भाग पर स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में उ0प्र0 रा0संहिता 2008 की धारा 87 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचाराधीन है। यथाशीघ्र शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	नोएडा एयरपोर्ट के अन्तर्गत द्वितीय चरण में पुनर्गठित किया जाना प्रस्तावित है।	—	पवन कुमार दूबे	यमुना प्रा0
7	JEWAR	मौहम्मदाबाद खेडा	MOHAMMDABA AD KHEDA	293	0.3160	पोखर	आंशिक भाग पर मकान बनाकर स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में उ0प्र0 रा0संहिता 2008 की धारा 87 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचाराधीन है। यथाशीघ्र शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	2017112771032228 ग्राम समा बनाम विरजू 2017112771032229 ग्राम समा बनाम राजू 2017112771032222 ग्राम समा बनाम हरपाल 2017112771032227 ग्राम समा बनाम ग्यासी 2017112771032228 ग्राम समा बनाम नित्तर आदि विचाराधीन है। टी2017112771032223 ग्राम समा बनाम धर्मवीर 25.03.2021, टी2017112771032230 ग्राम समा बनाम रामपाल 25.03.2021 टी2017112771032224 ग्राम समा बनाम वेद सिंह आदि 25. 03.2021 बेदखली के आदेश पारित	—	विकास शर्मा	यमुना प्रा0

तहसीलदार
जेवर

उपजिलाधिकारी
जेवर

9

उप जिलाधिकारी, जेवर कार्यालय के पत्रांक 328/रा0नि0कार्या0/2022 दिनांक10.10.2022 के द्वारा संशोधित कुल 293 तालाब/पोखरों की भौतिक सत्यापन एवं कृत कार्यवाही के विवरण/सूची के अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्रा0 के अन्तर्गत पड़ने वाले अतिक्रमित तालाबों/पोखरों का विवरण।

दि0 26.12.2022

34

क्र0 स0	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	Name of Village (English)	Khasra No.	Area (In Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटाये जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company /PSU	भौतिक सत्यापनकर्ता लेखपाल का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	JEWAR	मोहम्मदाबाद खेडा	MOHAMMDABA AD KHEDA	297	0.3350	पोखर	आंशिक भाग पर मकान बनाकर स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में उ0प्र0 रा0संहिता 2006 की धारा 87 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचाराधीन है। यथाशीघ्र शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	2017112771032602 ग्राम समा बनाम श्यामवीर, 2017112771032603 ग्राम समा बनाम जुगेन्द्र वाद विचाराधीन है। टी2017112771032601 ग्राम समा बनाम वीरपाल आदि 23.04. 2021 बेदखली आदेश पारित	—	विकास शर्मा	यमुना प्रा0
9	JEWAR	अहमदपुर चौरोली	AHAMDPUR CHOROLI	883	1.0620	पोखर	आंशिक भाग पर मकान बनाकर स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में उ0प्र0 रा0संहिता 2006 की धारा 87 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचाराधीन है। यथाशीघ्र शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	—	—	प्रदीप कुमार	यमुना प्रा0
10	JEWAR	साबोता मुस्तफाबाद	SABOTA MUSTFABAAD	212	1.6380	पोखर	आंशिक भाग पर मकान बनाकर स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में उ0प्र0 रा0संहिता 2006 की धारा 87 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचाराधीन है। यथाशीघ्र शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	—	—	कालीचरन	यमुना प्रा0



तहसीलदार
जेवर

उपजिलाधिकारी
जेवर

9

उप जिलाधिकारी, जेवर कार्यालय के पत्रांक 328/रा0नि0कार्या0/2022 दिनांक10.10.2022 के द्वारा संशोधित कुल 293 तालाब/पोखरों की भौतिक सत्यापन एवं कृत कार्यवाही के विवरण/सूची के अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्रा0 के अन्तर्गत पड़ने वाले अतिक्रमित : तालाबों/पोखरों का विवरण।

दि0 26.12.2022

35

क्र0 स0	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	Name of Village (English)	Khasra No.	Area (In Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नही स्थाई या अस्थायी	हटाये जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company / PSU	भौतिक सत्यापनकर्ता लेखपाल का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	JEWAR	थोरा	THORA	733	0.9870	तालाब	आंशिक भाग पर मकान बनाकर स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में उ0प्र0 रा0संहिता 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचाराधीन है। यथाशीघ्र शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	2017112771032707 ग्राम समा बनाम श्यामवीर, 2017112771032703 ग्राम समा बनाम चन्द्रपाल वाद विचाराधीन है। टी2017112771032533 ग्राम समा बनाम रवि 11.09.2021 बेदखली के आदेश पारित	-	विजयपाल सिंह	यमुना प्रा0
12	JEWAR	भाईपुर ब्रह्मनान	BHAIPUR BHARMNAAN	320	0.9480	पोखर	आंशिक भाग पर मकान बनाकर स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में उ0प्र0 रा0संहिता 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचाराधीन है। यथाशीघ्र शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	2017112771032351 ग्राम समा बनाम सुरती आदि, 2017112771033133 ग्राम समा बनाम विजय आदि, 202211270305454 ग्राम समा बनाम मनोज वाद विचाराधीन है। टी2017112771032352 ग्राम समा बनाम महेन्द्र 14.05.2022 बेदखली के आदेश पारित	-	पवन कुमार दूबे	यमुना प्रा0
13	JEWAR	तिरथली	TIRTHALI	135	0.0760	तालाब	आंशिक भाग स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में उ0प्र0 रा0संहिता 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचाराधीन है। यथाशीघ्र शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	2017112771032356 ग्राम समा बनाम श्रीमती आबादी	-	पवन कुमार दूबे	यमुना प्रा0



तहसीलदार
जेवर

उपजिलाधिकारी
जेवर

५५५

10

उप जिलाधिकारी, जेवर कार्यालय के पत्रांक 328/रा0नि0कार्या0/2022 दिनांक 10.10.2022 के द्वारा संशोधित कुल 293 तालाब/पोखरों की भौतिक सत्यापन एवं कृत कार्यवाही के विवरण/सूची के अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्रा0 के अन्तर्गत पड़ने वाले अतिक्रमित तालाबों/पोखरों का विवरण।

दि0 26.12.2022

36

क्र0 स0	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	Name of Village (English)	Khasra No.	Area (In Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नही स्थाई या अस्थायी	हटाये जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company / PSU	भौतिक सत्यापनकर्ता लेखपाल का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14	JEWAR	फलेदा बागर	FALEDA BANGER	269	0.8470	पोखर	आंशिक भाग पर मकान बनाकर स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में उ0प्र0 रा0संहिता 2008 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचाराधीन है। यथाशीघ्र शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	2017112771032561 ग्राम समा बनाम सुगड	-	प्रत्युष पाठक	यमुना प्रा0
15	JEWAR	दयौरार	DAYORAAR	299	0.6070	पोखर	आंशिक भाग पर मकान बनाकर स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में उ0प्र0 रा0संहिता 2008 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचाराधीन है। यथाशीघ्र शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	-	-	राजवीर शर्मा	यमुना प्रा0
16	JEWAR	जेवर बागर	JEWAR BANGER	273	0.0630	पोखर	आंशिक स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में उ0प्र0 रा0संहिता 2008 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचाराधीन है। यथाशीघ्र शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	-	-	नरेन्द्र कुमार	यमुना प्रा0

तहसीलदार
जेवर

उपजिलाधिकारी
जेवर

(=)

उप जिलाधिकारी, जेवर कार्यालय के पत्रांक 328/रा0नि0कार्या0/2022 दिनांक10.10.2022 के द्वारा संशोधित कुल 293 तालाब/पोखरों की भौतिक सत्यापन एवं कृत कार्यवाही के विवरण/सूची के अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्रा0 के अन्तर्गत पड़ने वाले अतिक्रमित तालाबों/पोखरों का विवरण।

दि0 26.12.2022

37

क्र० सं०	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	Name of Village (English)	Khasra No.	Area (In Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटाये जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company / PSU	भौतिक सत्यापनकर्ता लेखपाल का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17	JEWAR	खाजपुर	KHAJPUR	198	1.2650	पोखर	आंशिक भाग पर मकान बनाकर स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में उ0प्रा0 रा0संहिता 2006 की धारा 87 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचाराधीन है। यथाशीघ्र शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	-	-	नरेन्द्र कुमार	यमुना प्रा0





तहसीलदार
जेवर

उपजिलाधिकारी
जेवर
जेवर

12

उप जिलाधिकारी, जेवर कार्यालय के पत्रांक 328/रा0नि0कार्या0/2022 दिनांक10.10.2022 के द्वारा संशोधित कुल 293 तालाब/पोखरों की भौतिक सत्यापन एवं कृत कार्यवाही के विवरण/सूची के अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्रा0 के अन्तर्गत पड़ने वाले अतिक्रमित तालाबों/पोखरों का विवरण।

दि0 26.12.2022

38

क्र० सं०	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	Name of Village (English)	Khasra No.	Area (In Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटाये जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company / PSI	भौतिक सत्यापनकर्ता लेखपाल का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	JEWAR	नीमका शहाजहापुर	NEEMKA SHANJHAPUR	214	2.3650	पोखर	आंशिक भाग पर मकान बनाकर स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में उ0प्र0 रा0संहिता 2006 की धारा 87 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचारधीन है। यथाशीघ्र शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	2017112771033592 ग्राम समा बनाम ब्रजमोहन, 2017112771033585 ग्राम समा बनाम महेश, 2017112771033584 ग्राम समा बनाम राकेश, 2017112771033583 ग्राम समा बनाम जितेन्द्र आदि, 2017112771033582 ग्राम समा बनाम रामेन्द्र, 2017112771033588 ग्राम समा बनाम रिशीपाल, 2017112771033589 ग्राम समा बनाम महीपाल, 2017112771033590 ग्राम समा बनाम राजकुमार, 2017112771033586 ग्राम समा बनाम भगवत, 2017112771033581 ग्राम समा बनाम जयपाल, 2017112771033587 ग्राम समा बनाम शयीदान, 2017112771033593 ग्राम समा बनाम कल्लू आदि वाद विचारधीन है। टी2017112771033591 ग्राम समा बनाम गूरा 27.02.2021 बेदखली के आदेश पारित	-	नरेन्द्र कुमार	यमुना प्रा0



तहसीलदार
जेवर

Handwritten signature and initials at the bottom center.

उपजिलाधिकारी
जेवर

13

उप जिलाधिकारी, जेवर कार्यालय के पत्रांक 328/रा0नि0कार्या0/2022 दिनांक 10.10.2022 के द्वारा संशोधित कुल 293 तालाब/पोखरों की भौतिक सत्यापन एवं कृत कार्यवाही के विवरण/सूची के अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्रा0 के अन्तर्गत पड़ने वाले अतिक्रमित तालाबों/पोखरों का विवरण।

दि0 26.12.2022

39

क्र0 स0	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	Name of Village (English)	Khasra No.	Area (In Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटाये जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company / PSU	भौतिक सत्यापनकर्ता लेखपाल का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19	JEWAR	बनवारीवास	BANWARIBASH	47	0.3160	पोखर	आंशिक भाग पर मकान बनाकर स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में उ0प्र0 रा0संहिता 2006 की धारा 87 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचाराधीन है। यथाशीघ्र शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	-	-	नवीन कुमार	यमुना प्रा0
20	JEWAR	बनवारीवास	BANWARIBASH	99	0.2020	पोखर	आंशिक भाग पर मकान बनाकर स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में उ0प्र0 रा0संहिता 2006 की धारा 87 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचाराधीन है। यथाशीघ्र शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	ग्राम की पुरानी आवादी है।	-	नवीन कुमार	यमुना प्रा0

- कुल तालाब/पोखर- 200
- अतिक्रमण रहित- 161
- अतिक्रमित (आंशिक/पूर्ण)- 20
- नौएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अन्तर्गत अधिग्रहीत- 08
- नौएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (द्वितीय फेज) के अन्तर्गत प्रस्तावित- 11

तहसीलदार
जेवर

उपजिलाधिकारी
जेवर

40

Annexure R-8

①

talab 245 out

Date 29.12.2022

तालाब/पोखरों के संबंध में भौतिक सत्यापन आख्या की सूचना तहसील सदर, गौतमबुद्धनगर।

क्र.सं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)	गाटा संख्या	रकबा	तालाब का नाम	अतिक्रमण है, या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटाये जाने की कार्यवाही	विवरण	Taken up by any company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सदर	दनकोर देहात		744	0.0632	पोखर	सड़क	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
2	सदर	दनकोर देहात		1143ख	0.1391	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
3	सदर	दनकोर देहात		1256	0.0685	पोखर	मन्दिर व धर्मशाला बने हैं।	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
4	सदर	दनकोर देहात		201 / 1912	0.2151	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
5	सदर	दनकोर देहात		1577 / 1919	0.6223	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
6	सदर	जगनपुर अफजलपुर		290 / 305	0.4427	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
7	सदर	अट्टा गुजरान		289	0.0760	पोखर/कुएरा	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
8	सदर	गुनपुरा		205	0.3500	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
9	सदर	सातारपुर		576	0.4430	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
10	सदर	भूजखंडा		84	0.0630	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
11	सदर	भूजखंडा		488	0.2840	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
12	सदर	भूजखंडा		601	0.3410	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
13	सदर	भूजखंडा		686	0.1900	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
14	सदर	घनीरी		238 / 1789	0.1010	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
15	सदर	घनीरी		241क	2.3390	पोखर	आंशिक भाग पर कब्जा	नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।	-	यमुना विकास प्राधिकरण
16	सदर	घनीरी		474	0.3290	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
17	सदर	घनीरी		636	1.1130	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
18	सदर	घनीरी		1086	0.2780	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
19	सदर	घनीरी		241ख	1.8330	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
20	सदर	धमूना		89ग	0.2316	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
21	सदर	धमूना		91	0.1649	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
22	सदर	धमूना		230	0.2820	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
23	सदर	धमूना		66	0.1610	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
24	सदर	धमूना		90	0.1209	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
25	सदर	धमूना		104क	0.0900	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
26	सदर	धमूना		217	0.1200	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
27	सदर	धमूना		89ख	0.1390	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण

GNIDA
GNIDA
GNIDA
GNIDA
GNIDA
GNIDA
GNIDA

C:\Users\sadar\Desktop\tehsil sadar talab 245dam-1 (2)

29/12/2022
Mgo

तालाब/पोखरों के संबंध में भौतिक सत्यापन आख्या की सूचना तहसील सदर, गौतमबुद्धनगर।

क्र. सं०	तहसील का नाम	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)	गाटा संख्या	रकबा	तालाब का नाम	अतिक्रमण है, या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटाये जाने की कार्यवाही	विवरण	Taken up by any company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	सदर	झगरपुर रौलका		395	0.7970	पोखर	आंशिक भाग पर कब्जा	व्यायालय तहसीलवार/तहसीलवार वार्षिक में उपभ्र रकसंहिता 2008 की धारा 87 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु बाद विचारधीन है यधारीय शीर्ष प्राथमिकता पर व्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अधि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी	-	यमुना विकास प्राधिकरण
29	सदर	झगरपुर रौलका		514	0.4810	पोखर	जोपीठ बाउन्डी के अन्दर है।	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
30	सदर	झगरपुर रौलका		515	1.0120	पोखर	जोपीठ बाउन्डी के अन्दर है।	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
31	सदर	झगरपुर रौलका		535	1.8960	पोखर	जोपीठ बाउन्डी के अन्दर है।	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
32	सदर	रामपुर बागर		457	0.1840	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
33	सदर	अच्छेजा बुजुर्ग		227	0.4810	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
34	सदर	अच्छेजा बुजुर्ग		244	0.1770	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
35	सदर	मकनुपर धगर		211	0.0890	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
36	सदर	मकनुपर धगर		213	0.5690	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
37	सदर	रामपुर खादर		364 / 447	0.1770	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
38	सदर	कादरपुर		299	0.2020	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
39	सदर	कादरपुर		300ख	0.1260	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
40	सदर	कादरपुर		312	0.3410	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
41	सदर	मिर्जापुर		125मि	0.1520	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
42	सदर	मिर्जापुर		344	0.0630	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
43	सदर	मिर्जापुर		678	0.2530	पोखर	आंशिक भाग पर यमुना एक्सप्रेसवे द्वारा सड़क निर्माण।	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
44	सदर	मिर्जापुर		601	2.3010	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
45	सदर	नीलीनी साहपुर		1125	0.2910	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
46	सदर	नीलीनी साहपुर		1205	0.1770	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण

C:\Users\sadar\Desktop\tehsil sadar talab 245demi-1 (2)

(Handwritten signatures and initials)

42

तालाब/पोखरों के संबंध में भौतिक सत्यापन आख्या की सूचना तहसील सदर, गौतमबुद्धनगर।

क्र. सं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)	गाटा संख्या	रकबा	तालाब का नाम	अतिक्रमण है, या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटाये जाने की कार्यवाही	विवरण	Taken up by any company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	सदर	उसराना		62	0.0510	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
48	सदर	उसराना		339	0.1330	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
49	सदर	उसराना		451	1.3260	पोखर	आंशिक भाग पर कब्जा	न्यायालय तहसीलदार/तहसीलदार व्यक्ति में उद्यम रजिस्ट्रार 2008 की धारा 67 के अन्तर्गत बंदखली की कार्यवाही की जा चुकी है।	-	यमुना विकास प्राधिकरण
50	सदर	उस्मानपुर		168	0.1390	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
51	सदर	उस्मानपुर		483	0.1770	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
52	सदर	भट्टा		362	1.6070	पोखर	आंशिक भाग पर कब्जा	न्यायालय तहसीलदार/तहसीलदार व्यक्ति में उद्यम रजिस्ट्रार 2008 की धारा 67 के अन्तर्गत बंदखली की कार्यवाही की जा चुकी है।	-	यमुना विकास प्राधिकरण
53	सदर	भट्टा		192	1.2390	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
54	सदर	वीरपुर		214	0.6580	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
55	सदर	भारसीत		362क	0.1140	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
56	सदर	भारसीत		363ख	0.2760	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
57	सदर	भारसीत		417	0.7340	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
58	सदर	भारसीत		428	0.0760	पोखर	स्थायी कब्जा पक्की घर्मराला	न्यायालय तहसीलदार/तहसीलदार व्यक्ति में उद्यम रजिस्ट्रार 2008 की धारा 67 के अन्तर्गत बंदखली कार्यवाही हेतु गैर विचारमौल है यथाशीघ्र शीघ्र प्रथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के अन्तर्गत पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अर्थात् अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी	-	यमुना विकास प्राधिकरण
59	सदर	भारसीत		502	0.0630	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
60	सदर	भारसीत		668	0.0780	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
61	सदर	भारसीत		667क	0.2020	पोखर	आंशिक भाग पर कब्जा	न्यायालय तहसीलदार/तहसीलदार व्यक्ति में उद्यम रजिस्ट्रार 2008 की धारा 67 के अन्तर्गत बंदखली की कार्यवाही की जा चुकी है।	-	यमुना विकास प्राधिकरण
62	सदर	भारसीत		724	0.0440	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
63	सदर	भारसीत		730	1.3260	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
64	सदर	भारसीत		1374	0.0630	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण

Handwritten signatures and initials.

43

④

④
talab 245 aut

तालाब/पोखरों के संबंध में भौतिक सत्यापन आख्या की सूचना तहसील सदर, गौतमबुद्धनगर।

क्र. सं०	तहसील का नाम	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)	गाटा संख्या	रकबा	तालाब का नाम	अतिक्रमण है, या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटाये जाने की कार्यवाही	विवरण	Taken up by any company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	सदर	पारसील		1360	0.1680	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
66	सदर	पारसील		1422	0.4430	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
67	सदर	भुतना		164	3.5610	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
68	सदर	आछेपुर		257	0.6640	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
69	सदर	आछेपुर		339	0.3540	पोखर	अतिरिक्त भाग पर कच्चा	न्यायालय तहसीलदार/तहसीलदार न्यायिक में संप्रति 2008 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही की जा चुकी है।	-	यमुना विकास प्राधिकरण
70	सदर	आछेपुर		401	0.2910	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
71	सदर	खैरली भाव		606	0.2910	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
72	सदर	खैरली भाव		1013मि	1.2650	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
73	सदर	ततीफपर बांगर		32	0.3180	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
74	सदर	ततीफपर बांगर		206ख	0.0380	पोखर	बांध में व सड़क में	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
75	सदर	ततीफपर बांगर		340ख	0.0130	पोखर	बांध में व सड़क में	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
76	सदर	सुहेलीभीउददीनपुर		263	0.5060	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
77	सदर	सुहेलीभीउददीनपुर		299	0.1010	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण

Note

08 Nos of Chachulz falls under GNIDA

Total Nos of YEIDA 77-8 = 69 Nos.

Annexure R-9

44

संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त,

उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिलाधिकारी

उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 03 जून, 2016

विषय:- ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के पुनर्ग्रहण एवं विनिमय हेतु सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण।

महोदय,

प्रदेश में जमींदारी समाप्ति के बाद खातों के बाहर की भूमि/वस्तुएं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन ग्राम सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित कर दी गयी थी। गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित सम्पत्तियां वस्तुतः उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अधीन राज्य सरकार में निहित सम्पत्तियां थीं, जिन्हें मात्र प्रबन्धन के लिए गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित किया गया था। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 को निरसित कर दिया गया है।

2. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (1) में व्यवस्था है कि राज्य सरकार विहित रीति से प्रकाशित किये जाने वाले साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण को उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट ऐसी समस्त या कोई चीजें सौंप सकती है जो राज्य सरकार में निहित हों। उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (3) में व्यवस्था है कि ऐसी प्रत्येक भूमि या अन्य चीज (वस्तुएं), जो उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के उपबन्धों के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण में निहित हो, इस संहिता द्वारा निरसित किसी अधिनियम के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रभार के अधीन रखी गयी हो, इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात् किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के कब्जे में अन्यथा, आयी हो, उसे इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण के प्रयोजनार्थ

Sec. 59 (1) →

59 (4) →

→

→

ग्राम सभा

“

को

में

प्रबन्धन

“

By राज्य स.

वापस राज्य

(पुनर्ग्रहण)

शासन में

-2-

इन संहिता के पारम्भ होने के दिनांक से या उसके इस प्रकार कब्जे में आने के दिनांक से, यथास्थिति ऐसी गाम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में सौंपा हुआ सम्झा जायेगा। स्थानीय निकाय को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो तत्समय गाम पंचायत को प्राप्त रहे हो। गाम पंचायत या स्थानीय निकाय को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 से शासित भूमि को किसी अन्य रीति/प्रकार से व्यवस्थित करने का अधिकार नहीं होगा।

3. गाम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (क) में व्यवस्था है कि उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये किसी पूर्ववर्ती आदेश में परिवर्द्धन/संशोधन/परिवर्तन या उसे निरस्त कर सकती है और धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार किसी गाम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई या सौंपी हुई सम्झी गयी या अन्तर्गत की गई किसी भूमि या अन्य चीज को ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर जैसी कि विहित की जाय, वापस ले सकती है अर्थात् किसी भी समय गाम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमियों का पुनर्ग्रहण किया जा सकता है। पुनर्ग्रहण के बाद भूमि राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में आ जाती है और उसका उपयोग कृषि से भिन्न किसी भी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है। सीलिंग में प्राप्त भूमि भी कृषि प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 27 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 126 की उपधारा (1) में विहित वरीयता क्रम के अनुसार कलेक्टर द्वारा आवंटित की जा सकती है और कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 25 तथा 27 (2) के अधीन उपलब्ध करायी जा सकती है। इसी प्रकार अन्य सरकारी भूमि भी कृषि तथा उससे भिन्न प्रयोजनों के लिए गर्वनमेंट ग्रान्ट्स एक्ट, 1895 के अधीन पट्टे पर देकर उपलब्ध करायी जा सकती है।

4. गाम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि के उपयोग की प्राथमिकताओं के निमित्त भूमि का पात्र व्यक्तियों में आवंटन तथा विभिन्न विभागों द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों और निजी प्रयोजनों/उद्योगों के निमित्त भूमि उपलब्ध करये जाने में सामन्जस्य होना अत्यन्त आवश्यक है। गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि के उपयोग की प्राथमिकताओं के निमित्त पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों/अधिसूचनाओं को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल निम्नलिखित भावी पथ प्रदर्शन्तर्त सामान्य सिद्धान्त निर्धारित करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

4(1)(क) ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में

-3-

-3-

प्राप्त तथा अन्य सरकारी कृषि योग्य भूमि का उपयोग विभिन्न अधिनियमों में वर्णित क्रमानुसार केवल पात्र व्यक्तियों के आवंटन तक ही सीमित रखा जायेगा। इस प्रकार की भूमि सिद्धान्ततः अधिनियम की प्राथमिकताओं में आने वाले पात्र व्यक्तियों को ही दी जायेगी, क्योंकि भूमि सुधार कानूनों के अभिप्राय के अनुसार उपलब्ध कृषि योग्य भूमि पर सर्वप्रथम अधिकार भूमिहीन खेतिहर मजदूरों तथा समाज के निर्बल वर्गों के व्यक्तियों का ही है।

- (ख) ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त एवं अन्य सरकारी कृषि अयोग्य भूमि ग्राम वासियों की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए आरक्षित की जायेगी।
- (ग) ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि यदि भूमिहीनों में आवंटन और ग्राम वासियों की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए आरक्षण के बाद भी शेष बचते हैं, तो ऐसी कृषि अयोग्य भूमि केवल राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों एवं भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही उपलब्ध करावी जायेगी। भारत सरकार के विभागों अथवा राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों की आवश्यकता से तात्पर्य विभागों के कार्यालय, विभागों के अन्तर्गत ऐसे प्रतिष्ठानों, जिनमें सरकार की 50 प्रतिशत से अधिक अंश पूंजी लगी हो, के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने से होगा। राज्य सरकार के सेवारत विभागों को भूमि निःशुल्क दी जायेगी और राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों, भारत सरकार के विभागों तथा निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार देय होगी। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। पुनर्गृहीत भूमि का मूल्य तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया राजकोष में लेखा शीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियों-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियों" के नाम जमा कराया जायेगा।
- (घ) यदि ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि पात्र व्यक्तियों की आवंटन और ग्राम वासियों की सामान्य

नवीनीकरण किया जा सकेगा, लेकिन पट्टे की समेकित अवधि 90 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी।

(ज) भूमि को पुनर्गृहीत किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना अनिवार्य होगा कि वह

-5-

-5-

परिचालित: ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित हैं।

- (झ) ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि के पुनर्गृहण हेतु भूमि प्रबन्धक समिति का प्रस्ताव आवश्यक होगा। भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव का यथोचित आदर किया जाना आवश्यक होगा और जब तक कोई विशेष कारण न हो, समिति के प्रस्ताव के विपरीत भूमि का पुनर्गृहण नहीं किया जायेगा।
- (ट) आसामी तथा लाइसेन्सदार के अध्यासन वाली भूमि का पुनर्गृहण नहीं किया जा सकेगा। पुनर्गृहण के पूर्व यह भी देख लेना आवश्यक होगा कि सम्बन्धित भूमि पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-76 की उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को शोरदार/असकमणीय अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार तो नहीं मिल गये हैं। यदि हाँ, तो उस भूमि का पुनर्गृहण न होगा बल्कि यथा नियम भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही अमल में लानी होगी।
- (ठ) पुनर्गृहीत की गयी भूमि पर ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किये गये विकास कार्य के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 के उप नियम (3) के अनुसार प्रतिकर देय होगा।
- (ड) ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि का पुनर्गृहण जिसके लिए किया जा रहा है, उसकी प्रास्थिति के बारे में स्थिति संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा स्पष्ट की जायेगी अर्थात् भूमि का पुनर्गृहण जिसके लिए किया जा रहा है, वह राज्य सरकार का सेवारत या वाणिज्यिक विभाग है या भारत सरकार का विभाग है या निजी क्षेत्र है।
- (ढ) तमोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु भूमि निःशुल्क पुनर्गृहण कर माध्यमिक शिक्षा विभाग के निवर्तन पर रखी जायेगी जो भारत सरकार को भूमि के हस्तान्तरण हेतु पृथक से यथाआवश्यक आदेश जारी करेंगे।
- (ण) शासन के संबंधित प्रशासकीय विभागों की संस्तुति पर ही जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों द्वारा भूमि का पुनर्गृहण किया जायेगा और पुनर्गृहीत भूमि शासन के संबंधित प्रशासकीय विभागों के निवर्तन पर रखी जायेगी जो उसके हस्तान्तरण हेतु पृथक से आवश्यक आदेश जारी करेंगे।

- (त) भूमि की कीमत तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया निर्धारित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कर दिये जाने के बाद ही पुनर्ग्रहीत/विनिमय की गयी भूमि का कच्चा पशासकीय विभागों को दिया जायेगा।
- (थ) पशासकीय विभाग को पुनर्ग्रहीत भूमि की आवश्यकता न होने की दशा में प्राथमिकता के आधार पर राजस्व विभाग को वापस किया जायेगा तथा निर्धारित

-6-

-6-

प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

- (द) मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी के कार्यालय में पुनर्ग्रहण की गयी भूमियों/वस्तुओं का विवरण कमबद्ध रूप में उपलब्ध रहना अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु कार्यालयों में आकार-पत्र-3 में एक रजिस्टर रखा जायेगा और प्रत्येक पुनर्ग्रहण का आदेश उसमें अंकित होने तथा सम्बन्धित अधिकारी के उस पर हस्ताक्षर करने के बाद निर्गत किया जायेगा।
- (ध) जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों द्वारा जारी किये जाने वाले पुनर्ग्रहण आदेशों तथा चुटियों के निराकरण हेतु मानक आकार पत्र-1 संलग्न है। संलग्न मानक आकार पत्र-1 के आधार पर ही पुनर्ग्रहण के आदेश जारी किये जायेंगे।
- (न) जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों द्वारा पुनर्ग्रहीत की गयी भूमि का विवरण संलग्न आकार पत्र-2 एवं 3 में षटमासिक रूप से आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तथा 15 जुलाई को भेजा जायेगा, जिसे संकलित कर आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद द्वारा शासन को प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी व 31 जुलाई को भेजा जायेगा।
- (प) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद द्वारा राजस्व परिषद के अधिकारियों के दौरों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों का पुनर्ग्रहण कार्य मण्डल व जिला स्तर पर शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अधीन हो रहा है। संलग्न आकार पत्र-2 में षटमासिक विवरण-पत्र परिषद के माध्यम से शासन को यथा समय प्राप्त होते रहें।

4(2) राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) में वर्णित ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं को वापस लेने की उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्ति उन दशाओं में जहाँ यह फाइनेंशियल हेण्डबुक, खण्ड-5 के भाग-1 के परिशिष्ट 9 में उल्लिखित, राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, संबंधित जनपदों के कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है

इस प्रकार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार के सेवारत विभागों हेतु उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट भूमियों/वस्तुओं का निःशुल्क पुनर्ग्रहण कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही संबंधित जनपदों के कलेक्टर द्वारा की जायेगी।

4(3) राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक

-7-

-7-

03 जून, 2016 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) में वर्णित ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं को वापस लेने की उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्ति उन दशाओं में जहाँ यह फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-5 के भाग-1 के परिशिष्ट 9 में उल्लिखित, राज्य सरकार के किसी वाणिज्यिक विभाग के लिए या जहाँ वह भारत सरकार के किसी विभाग के लिए अपेक्षित हों, रुपये 40 लाख की वस्तुओं हेतु संबंधित जनपदों के कलेक्टरों तथा रुपये 40 लाख से अधिक की वस्तुओं हेतु मण्डलायुक्तों को प्रत्यायोजित किया गया है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट भूमियों/वस्तुओं के निःशुल्क पुनर्ग्रहण कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही कलेक्टर तथा मण्डलायुक्त द्वारा की जायेगी।

4(4) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (दो), (पाँच) तथा (छः) में निर्दिष्ट भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण की शक्ति शासन में निहित होगी। इसी प्रकार निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (दो), (तीन), (चार), (पाँच) तथा (छः) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं के पुनर्ग्रहण की कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी।

4(5) उपरिलिखित प्रस्तर-4 (1) में विहित सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव के साथ संबंधित जिलाधिकारी को अपने हस्ताक्षर से इस आशय का पमाण-पत्र देना होगा कि संबंधित ग्राम के समस्त पात्र व्यक्तियों की भूमि का आवंटन किया जा चुका है तथा ग्रामवासियों की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए अपेक्षित भूमि आरक्षित की जा चुकी है। इसी प्रकार निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास को ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव के साथ सम्बन्धित

जिलाधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि संबंधित ग्राम में समस्त पात्र व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया जा चुका है तथा ग्राम की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए अपेक्षित भूमि आरक्षित की जा चुकी है और राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों एवं भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है अथवा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

-8-

-8-

4(6) ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि के पुनर्ग्रहण के प्रस्ताव जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से जनपद, तहसील, परगना, ग्राम, गाटा संख्या, रकबा (हेक्टेअर में) एवं भूमि की श्रेणी/प्रकृति का उल्लेख करते हुए संगत अभिलेखों, अपेक्षित प्रमाण-पत्रों एवं स्पष्ट संस्तुति सहित शासन के संबंधित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से राजस्व अनुभाग-1 को भेजे जायेंगे। पुनर्ग्रहण के प्रस्ताव हेतु ऐसी भूमि का चयन न किया जाय जो हिन्दूचलाल तिवारी बनाम कमला देवी व अन्य तथा अन्य सदृश्य वादों में मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय के वाध्यकारी आदेश या किसी मा0 न्यायालय के स्थगन आदेश से प्रभावित हो।

5. जब विकास की बड़ी योजनाओं/कार्यों हेतु भूमि का बड़ा क्षेत्रफल क्रय/अधिग्रहण किया जाता है, तो उसके मध्य उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77 की उपधारा (1) में वर्णित भूमियां, जिसमें भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं, यथा-चकरोड, चकमार्ग, रास्ता, नाली, नाला, पल्लिहान, होलिका स्थल, खाद के गड्ढे, पशुचर, हड़ावर, शमशान स्थल व तालाब /पोखर आदि भी स्वाभाविक रूप से आते हैं। इसके फलस्वरूप इन परियोजनाओं का कार्य तो बाधित होता है साथ ही ग्रामीणों को असुविधा भी होती है। इस संबंध में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सुरक्षित श्रेणी की भूमियों के शासन स्तर पर पुनर्ग्रहण/विनिमय या किसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी अपवादात्मक प्रकरणों में परिवर्तन पर विचार किये जाने हेतु निम्नलिखित सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण किया जाता है:-

5(1) राज्य सरकार के सेवारत विभागों, नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि दिये जाने की व्यवस्था है। अतएव पुनर्ग्रहीत की जाने वाली भूमि के बराबर ही उसी ग्राम पंचायत की सामान्य भूमि (सार्वजनिक उपयोग की नहीं) उसी सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित करते हुए पुनर्ग्रहण एवं विनिमय किया जायेगा।

5(2) राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों, भारत सरकार के विभागों तथा निजी क्षेत्र को भूमि विनिमय के माध्यम से उपलब्ध करायी जाय अर्थात् संस्था द्वारा उसी ग्राम पंचायत में अवस्थित योजना की अपने स्वामित्व की भूमि से ग्राम पंचायत की भूमि का विनिमय किया जायेगा। यदि

श्री. 12/12/2020
(सहायक)
(मा0)
6.7.2020

स्वामित्व में भूमि नहीं है, तो क्रय या अन्य प्रकार से प्राप्त कर विनिमय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। विनिमय क्षेत्रफल के आधार पर न होकर उपयोगिता के आधार पर होगा। कलेक्टर द्वारा सार्वजनिक उपयोग की भूमियों को हरे रंग से तथा संस्था की भूमि को लाल रंग से गाटा संख्या, रकबा, भूमि की श्रेणी/प्रकृति, दोनों भूमियों के मध्य दूरी, सम्पर्क मार्ग तथा दोनों भूमियों से संबंधित एक रंगीन मानचित्र अलग-अलग रंगों से प्रदर्शित करते हुए उपलब्ध कराया जायेगा।

5(3) किसी संस्था द्वारा क्रय/अधिग्रहीत भूमि से घिरे ऐसे चकरोड, रास्ता, नाली, नाला इत्यादि

-9-

-9-

की भूमि, जो संस्था की बाउन्ड्री के अन्दर ही आरम्भ एवं समाप्त होते हैं अर्थात् जिनकी कोई सार्वजनिक उपयोगिता नहीं रह गयी है, का सःशुल्क पुनर्ग्रहण कर नियमानुसार संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा।

5(4) ऐसे चकरोड/चकमार्ग/रास्ता/नाली/नाला इत्यादि जो संस्था की बाउन्ड्री के अंदर से होते हुए उसकी बाउन्ड्री के बाहर भी जाते हैं जिसके कारण ये सार्वजनिक उपयोग में आने योग्य हैं, का पुनर्ग्रहण सामान्यतया न किया जाय। यदि संस्था सुरक्षा आदि के कारणों से उसका पुनर्ग्रहण चाहती है, तो इससे पूर्व संस्था से उनकी बाउन्ड्री के किनारे उनके स्वामित्व की भूमि से सार्वजनिक प्रयोग हेतु वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने के उपरान्त ही उनकी बाउन्ड्री के अंदर आने वाले चकरोड/चकमार्ग/रास्ता/नाली/नाला इत्यादि भूमियों को विनिमय द्वारा संस्था को उपलब्ध करा दिया जाय जिसका ग्रामवासी सुविधाजनक ढंग से सार्वजनिक प्रयोग कर सकें। यदि स्वामित्व में भूमि नहीं है, तो क्रय/अर्जन या अन्य प्रकार से प्राप्त कर विनिमय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। यह विनिमय क्षेत्रफल के आधार पर न होकर उपयोगिता के आधार पर होगा। संस्था की भूमि से विनिमय किये जाने पर भूमि का मूल्य नहीं लिया जायेगा।

5(5) क्रय/अधिग्रहीत भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत की ऐसी अन्य सार्वजनिक उपयोग की सुरक्षित श्रेणी की भूमियों, जिसमें भूमिधरी अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं यथा-पशुचर, खलिहान, हडावर, खाद के गडढे, होलिका स्थल, विद्यालय, पंचायत घर इत्यादि जिनकी सार्वजनिक उपयोगिता तां है, किन्तु संस्था के बड़े क्षेत्रफल के अंदर आ जाने के कारण इसका सार्वजनिक प्रयोग असुविधाजनक हो गया है, को पुनर्ग्रहण करने के लिये संस्था द्वारा उन सार्वजनिक उपयोग की भूमियों के बदले उतनी ही भूमि उसी ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण में अवस्थित अपने स्वामित्व की भूमि से ऐसे स्थल पर विकल्प के रूप में उपयोगिता के आधार पर विनिमय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका ग्रामवासी सुविधाजनक ढंग से सार्वजनिक प्रयोग कर सकें। यदि स्वामित्व में भूमि नहीं है तो क्रय या अर्जन या अन्य प्रकार से प्राप्त कर विनिमय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। विनिमय क्षेत्रफल के आधार पर न होकर उपयोगिता के

आधार पर होगा। यदि जिलाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जाता है कि क्रय/अधिग्रहीत भूमि के मध्य स्थित सार्वजनिक उपयोग की सुरक्षित श्रेणी की भूमियाँ यथा-पशुचर, खलिहान, हडावर, खाद के गड्ढे, होलिका स्थल, विद्यालय, पंचायत घर आदि की वर्तमान में सार्वजनिक उपयोगिता नहीं रह गयी है, तो ऐसी भूमियों का श्रेणी परिवर्तन कर सःशुल्क पुनर्ग्रहण संस्था को उपलब्ध करा दिया जायेगा। लोक प्रयोजन भूमि के श्रेणी परिवर्तन का मूल्य भी देय होगा।

5(6) मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-4787/2001 हिंचलाल तिवारी बनाम

-10-

-10-

कमला देवी व अन्य सिविल अपील संख्या-1132/2011 जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-38910/2013 इकबाल अहमद व अन्य बनाम डी0डी0सी0 देवरिया व अन्य में पारित आदेश के क्रम में तालाब/पोखर/घौला तथा अन्य जल प्रणालियाँ इत्यादि की भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकता है। उक्त निर्देश पर्यावरण की सुरक्षा तथा भौगोलिक पारिस्थितिकी को बनाये रखने के दृष्टिगत दिये गये हैं। यदि विकास की वड़ी परियोजनाओं हेतु क्रय/अधिग्रहीत भूमि के मध्य तालाब/पोखर/घौला आदि की भूमि आती है, तो उक्त भूमियों के पुनर्ग्रहण के बिना विकास की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं पूर्ण नहीं हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में उक्त भूमियों के पुनर्ग्रहण की कार्यवाही पर इस प्रतिबन्ध के अधीन विचार किया जा सकेगा कि संस्था द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुरूप तालाब/पोखर/घौला आदि के प्राकृतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे बल्कि पूर्व की भाँति तालाब/पोखर/घौला आदि का प्राकृतिक स्वरूप एवं जल संचयन की क्षमता तथा नैसर्गिक जल प्रवाह को यथावत् बनाये रखना भी सुनिश्चित करेंगे। यदि संस्था सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ऐसा कर पाने में सक्षम न हो तो ग्राम वासियों की उपयोगिता के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा विद्यमान क्षेत्रफल से 25 प्रतिशत अधिक अर्थात् 125 प्रतिशत क्षेत्रफल पर तालाब की खुदाई करा करके उसे गहरा बनाना सुनिश्चित करेगी। जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खुदाई किये जाने वाले तालाब में वर्षा का अधिकाधिक जल का संचयन हो सके ताकि ग्राम वासियों द्वारा तालाब में संचित जल का समुचित उपयोग किया जा सके। उक्त व्यवस्था सुनिश्चित होने के उपरान्त ही तालाब/पोखर/घौला आदि की भूमि विनिमय के द्वारा संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा। संस्था द्वारा ग्राम वासियों की उपयोगिता के आधार पर तालाब/पोखर/घौला आदि की वैकल्पिक व्यवस्था कराये जाने की दशा में संस्था से भूमि का मूल्य नहीं लिया जायेगा। संबंधित प्रशासनिक विभाग तथा कलेक्टर तालाब/पोखर/घौला आदि की उपयोगिता के आधार पर समतुल्य वैकल्पिक व्यवस्था से संतुष्ट होने के उपरान्त ही भूमि का कब्जा संस्था को हस्तान्तरित करेंगे। यह कार्यवाही 30 दिन में अनिवार्य रूप से पूर्ण की जायेगी ताकि ग्राम

आशियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सम्बन्धित कलेक्टर द्वारा उपयोगिता के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था की पूर्ण सूचना तथा जाँच रिपोर्ट संबंधित प्रशासकीय विभाग, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद तथा राजस्व अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को 45 दिन में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5(7) कविस्तान, शमसान तथा धार्मिक स्थलों का पुनर्ग्रहण नहीं किया जायेगा और यदि ऐसी भूमि पुनर्ग्रहीत भूमि की सीमा के भीतर आती हो, तो संस्था द्वारा इसके सार्वजनिक प्रयोग हेतु सड़क मार्ग दिया जायेगा। यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उनमें से किसी एक का पुनर्ग्रहण

-11-

-11-

अनिवार्य हो, तो वैकल्पिक व्यवस्था करना तथा यह देख लेना आवश्यक होगा कि ऐसी भूमियों के पुनर्ग्रहण से किसी धार्मिक उत्तेजना की आशंका तो नहीं है। यदि हाँ, तो ऐसी वस्तु या वस्तुओं का पुनर्ग्रहण नहीं किया जायेगा।

5(8) ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों का संस्था की भूमि से विनिमय की अनुमति शासन द्वारा दी जायेगी। अतः उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 101 के अधीन कलेक्टर द्वारा विनिमय का प्रस्ताव संगत अभिलेखों एवं रंगीन मानचित्र के साथ शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को प्रेषित किये जायेंगे। प्रशासकीय विभाग विनिमय के प्रस्ताव पर अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित राजस्व अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायेगा।

5(9) जनपद/मण्डल/शासन स्तर पर भूमि के पुनर्ग्रहण आदेश निर्गत होने से पूर्व प्रस्तावित भूमियों पर संस्था द्वारा निर्माण कार्य आदि प्रारम्भ नहीं किया जायेगा। अतएव कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि जब तक प्रस्तावित भूमि का पुनर्ग्रहण आदेश कलेक्टर/मण्डलायुक्त या शासन स्तर से निर्गत नहीं हो जाता है, तब तक प्रस्तावित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य/कब्जा आदि न होने पाये। यदि बिना पुनर्ग्रहण आदेश निर्गत हुए प्रस्तावित भूमि पर कोई निर्माण कार्य/कब्जा आदि किया जाता है, तो इसके लिए सम्बन्धित कलेक्टर स्वयं उत्तरदायी होंगे।

5(10) सार्वजनिक उपयोग की भूमि के बदले शासन द्वारा निर्धारित वैकल्पिक व्यवस्था तथा अन्य निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन कलेक्टर द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

5(11) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आवासीय समस्याओं के निराकरण हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त उच्च गुणवत्ता की जीवन पद्धति वाले आवासीय टाउनशिप के विकास हेतु निजी पूँजी निवेश के माध्यम से विकसित की जा रही हाइटेक टाउनशिप/इण्टीग्रेटेड टाउनशिप/न्यू टाउनशिप की नीतियों निर्धारित की गयी हैं टाउनशिप के विकास हेतु चयनित स्थल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत

स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि भी स्वाभाविक रूप से आती है। प्रस्तावित टाउनशिप का एकीकृत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से टाउनशिप के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि का पुनर्ग्रहण आवश्यक होता है।

आवासीय टाउनशिप के विकास हेतु ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों को पुनर्ग्रहीत कर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निर्वर्तन पर रखते हुए संबंधित विकास प्राधिकरण को आवासीय नीतियों के प्रयोजनार्थ उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि संबंधित विकासकर्ता को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी और विकासकर्ता का उक्त भूमि तृतीय पक्ष के लिए

-12-

-12-

हस्तान्तरित करने की छूट होगी और इस हेतु शासन से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि भूमि ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित है, तो तृतीय पक्ष को बिना पुनर्ग्रहण आदेश के हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा। हाईटेक टाउनशिप/इंटीग्रेटेड टाउनशिप/न्यू टाउनशिप परियोजना के अन्तर्गत पड़ने वाली ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों का पुनर्ग्रहण हाईटेक टाउनशिप/इंटीग्रेटेड टाउनशिप/न्यू टाउनशिप की नीति के अनुसार निर्धारित अवधि 60 दिन में पूर्ण कर ली जाय। ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव कलेक्टर द्वारा समस्त अभिलेखों सहित आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा। आवास एवं शहरी नियोजन द्वारा 15 दिन के अन्दर परीक्षणोपरान्त स्पष्ट सन्तुष्टि/सहमति सहित प्रस्ताव राजस्व विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

5(12) प्रदेश में विद्युत एवं अवस्थापना विकास के सुदृढीकरण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले नये विद्युत उपकेन्द्रों क्षमता 33/11 के.वी. के साथ अन्य विभव के विद्युत उपकेन्द्रों यथा-132 के.वी., 220 के.वी., 400 के.वी. एवं 765 के.वी. की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77 की उपधारा (1) में वर्णित भूमियां यथा-चकरोड, रास्ता, नाली, नाला, पशुचर, खलिहान, हड़ावर, खाद के गड्ढे, होलिका स्थल, विद्यालय, पंचायत घर आदि (वह भूमि जिसमें भूमिधारी अधिकार उत्पन्न नहीं होते) से आच्छादित भूमि को छोड़कर उपलब्धता के आधार पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट भूमि को 01 रुपये प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य दर पर 30 वर्ष के लिए पट्टे पर जिसे बाद में 30-30 वर्ष पर प्रशासनिक विभाग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उनके अनुरोधानुसार 90 वर्ष के पट्टे पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन/वितरण निगमों (मध्यांचल, पूर्वांचल,

पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, केंसको व उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०) को उपलब्ध करायी जायेगी। भूमि के सांकेतिक मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। पुनर्गृहीत भूमि का मूल्य तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा। विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु संबंधित आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता निम्नवत् होगी-

(अ) 33/11 के.वी.

(क) कवाल नगरों, बड़े शहरों तथा जिला मुख्यालयों हेतु 1.50 एकड़

-13-

-13-

(ख) अर्द्धशहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में	2.00	एकड़
(ब) 132 के.वी.	3.50	एकड़
(स) 220 के.वी.	10.00	एकड़
(द) 400 के.वी.	50.00	एकड़
(य) 765 के.वी.	82.00	एकड़

यदि प्रदेश में विद्युत सुधार एवं विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले नये विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना निजी संस्था के माध्यम से की जाती है, तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रवन्धन में निहित भूमि सःशुल्क पुनर्गृहण कर नियमानुसार पट्टे पर उपलब्ध कराया जायेगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (दो), (तीन), (चार), (पांच) तथा (छः) में निर्दिष्ट भूमियों को उपलब्ध कराने की कार्यवाही शासन स्तर से की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-744()/एक-1-2016-20(5)/2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सभस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

57

1. चकचन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. स्टॉक आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. निजी सचिव, मा:0 राजस्व मंत्री जी।
7. राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

-1-

जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों द्वारा जारी किये जाने वाले पुनर्ग्रहण के आदेशों का
मानक आकार पत्र

आकार पत्र 1

आदेश

संख्या..... दिनांक

शासनादेश संख्या..... दिनांक.....का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (30प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या दिनांक.....द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं.....जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त.....संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक.....के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं०	जिला	तहसील	परगमना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेअर में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण:- (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही)

TC
2

58

2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---

आजा से,

(जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त का नाम)

टिप्पणी- रिक्त स्थान में उन शासनादेश तथा दिनांक भरी जायेगी जिसके द्वारा पुनर्गृहीत की जाने वाली भूमि ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित की गई थी।

-2-

-2-

आकार पत्र 2

जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त द्वारा पुनर्गृहीत की गई भूमि का षट्मासिक विवरण
30 जून, 20...../31 दिसम्बर, 20.....को समाप्त होने वाला षट्मास,
जिला तहसील परगना.....

क्र०सं०	विभाग का नाम जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की गई	प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की गई	ग्राम पंचायत	पुनर्गृहीत भूमि का क्षेत्रफल एवं भूमि की प्रकृति/श्रेणी	पुनर्गृहीत की गई भूमि का मूल्य	पुनर्गृहीत की भूमि की मालगुजारी पूंजीकृत मूल वार्षिक किर
1	2	3	4	5	6	7

आकार पत्र 3

पुनर्गृहण की जाने वाली भूमि का गाटा संख्या, रकवा एवं	ग्राम जिसमें पुनर्गृहण की जाने वाली भूमि	ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण जिसमें पुनर्गृहण की जाने वाली भूमि स्थित है।	पुनर्गृहीत की जाने वाली भूमि का मूल्य	पुनर्गृहीत की जाने वाली भूमि की मालगुजारी का पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक	भूमि का मूल्य तथा पूंजीकृत मूल्य	पुनर्गृहण आदेश निर्गत किए जाने की तिथि व आदेश संख्या/विभाग	पृष्ठ आंके के हर ना पद
--	--	---	---------------------------------------	---	----------------------------------	--	------------------------

भूमि की प्रकृति/श्रेणी	स्थित है			किराया	जमा करने का विवरण	जिसके लिए पुनर्ग्रहण किया गया	सहित
1	2	3	4	5	6	7	8

TC
E

Annexure R-10



वर्ष 2019-20 से यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा तालाबों/पोखरों को संरक्षित किये जाने के उद्देश्य से उनकी साफ-सफाई एवं खुदाई का विवरण निम्नानुसार है:-

क म सं 0	नाम का नाम	तालाब की सफाई से पहले के चित्र	तालाब की सफाई के बाद की चित्र
1	खेरली भाव		
2	मकसूदपुर		
3	डूंगरपुर रीलखा		

रिंकु कुमारी
सहायक प्रबन्धक (संभालन)
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

Magar - *Magar*

[Signature]

4	मुतेना		
5	पारसोल -1		
6	पारसोल -2		

रिंकु कुमार
सहायक प्रबन्धक (उद्यान)
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण

5




7	शरसाना		
8	डुबली-1		
9	डुबली-2		

रिंकु कुमार
 सहायक प्रबन्धक (उद्यान)
 यमुना एक्सप्रेसवे वीथी व वि० प्राधिकरण


10	मेहन्दीपुर		
11	कुरेव-1		
12	कुरेव-2		

रिंशु कुमार
 सहायक प्रबन्धक (उद्यान)
 समुदाय एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

6

13	नमला हुकुम सिंह		
14	मोहम्मदपुर गुजर		
15	पचोकरा		





 रिंकु कुमार
 सहायक प्रबन्धक (उद्यान)
 पशुधन एवं सस्य विभाग, आर.डी.ओ. वि० प्राधिकरण

65

65


(11)

16	मोहम्मदपुर जादो		
17	मुरादगढी		
18	रवपुरा		

रिंकु कुमार
 सहायक प्रबन्धक (जलदात)
 यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण

Handwritten signature

Handwritten signature

19	आकलपुर		
20	उतरावली		
21	माहम्मदपुर खेडा		


रिंजु कुमार
 सहायक प्रबन्धक (उद्यान)
 यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

Post mgs

[Handwritten signature]

67



22	रामपुर खादर		
23	मोती	 <p>2019-7-2 14:30</p>	 <p>2019-7-2 14:30</p>
24	भाईपुर	 <p>2019-7-6 13:17</p>	 <p>2019-7-5 18:07</p>

रिंशु कुमार
सहायक प्रबन्धक (संयोजन)
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

25	अनीपुर		
26	लतीफपुर गार		

रिंकु कुमार
 सहायक प्रयत्नाक (अधीन)
 वन्युना एक्सप्रेसवे ओद्यो० दि० प्राधिकरण

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

द्वितीय तल, कॉर्पोरेट बिल्डिंग, ब्लॉक-पी-2, सेक्टर ओमेगा-1, ग्रेटर नोएडा सिटी-201308, यमुना एक्सप्रेसवे (उ.प्र.)

YEA/GM (P) /2022/ 588

Annexure R-11 (Colly)

DATED: 14.06.2022

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित/अर्द्धशासित/सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यों का फर्म से कम चार वर्ष का अनुभव रखने वाले/फर्मों से ई-निविदाये आमंत्रित की जाती हैं। ई-प्रोक्वोरमेंट सोल्यूशन द्वारा निविदाये द्विस्तरीय पद्धति से खोली जायेंगी।
कार्य आदेश संख्या: साई.ई.ए./डी.सी.ई.ओ/149/2013 दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अनुपालन में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की कार्यों में कार्य द्वारा बिल ऑफ क्वांटिटी (बीओक्यूओ) पर खाले गये 10 प्रतिशत कम दरों तक 0.5 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर तथा उसके पर्याप्त 10 प्रतिशत से कम दरों पर 1.00 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर सिक्वोरिटी/परफॉर्मन्स गारन्टी प्राप्त की जायेगी तथा परफॉर्मन्स गारन्टी एफडीआर/सीडीआर/बैंक एफडीआर/एफडीआर के रूप में न्यूनतम संविदाकार द्वारा अनुबन्ध गठन से पूर्व देनी होगी, जो कार्य के अन्तिम बीजक होने के बाद वापिस होगी।

कार्य का नाम	अनुमानित लागत / निविदा प्रपत्र का मूल्य (अप्रतिदेय) घरोर घनराशि/ कार्य पूर्ण करने की अवधि	ई-प्रोक्वोरमेंट द्वारा ई-निविदा जारी करने की तिथि	ई-प्रोक्वोरमेंट द्वारा निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय, जिसके साथ टेंडर मूल्य व घरोर घनराशि की RTGS की रसीद संलग्न करनी है।	ई-प्रोक्वोरमेंट द्वारा ई-निविदा के प्रोक्वोरमेंट खोलने की तिथि तथा समय	ई-प्रोक्वोरमेंट द्वारा ई-निविदा की प्राप्ति के बाद खोलने की तिथि तथा समय	ई-निविदा खोलने का स्थान
Maintenance of trees and shrubs on 20mtr wide green belt between 100mtr wide road and sec-20 in front of pocket D to H in sec-20 with two years year wc-hort	₹ 21.56 लाख ₹ 500.00+G.S.T ₹ 43,200.00 24 माह	27.06.2022	08.07.2022 सांय 5.00 बजे तक	11.07.2022 प्रातः 11.00 बजे तक	इसकी सूचना वेब साइट पर प्रो-क्वोरमेंट के 3 कार्य दिवस उपरान्त देवी जा सकती है।	कार्यालय निविदा सेल, प्रशासनिक मयन, कॉर्पोरेट बिल्डिंग, ब्लॉक पी-2, सेक्टर ओमेगा-1, ग्रेटर नोएडा
Maintenance of trees and shrubs on 20mtr wide green belt between 45mtr wide road and Jewar distributory in front of pocket k to r in sec-20 for two years year wc-hort	₹ 24.73 लाख ₹ 500.00+G.S.T ₹ 49,500.00 24 माह	27.06.2022	08.07.2022 सांय 5.00 बजे तक	11.07.2022 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
Plantation of trees, shrubs in balance 25mtr wide green belt on right side of road no.18 in sec-32 with two year maintenance of yeida Wc-hort.	₹ 26.30 लाख ₹ 500.00+G.S.T ₹ 56,600.00 24 माह	27.06.2022	08.07.2022 सांय 5.00 बजे तक	11.07.2022 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
Maintenance of trees and shrubs on 20mtr wide green belt between 24mtr wide road and Jewar distributory in front of pocket H to C in sec-20 with two years year wc-hort	₹ 30.58 लाख ₹ 500.00+G.S.T ₹ 61,200.00 24 माह	27.06.2022	08.07.2022 सांय 5.00 बजे तक	11.07.2022 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
Maintenance of trees and shrubs in internal roads in sec-20 (block-A,B AND C) for two years year wc-hort	₹ 44.90 लाख ₹ 1000.00+G.S.T ₹ 89,800.00 24 माह	27.06.2022	08.07.2022 सांय 5.00 बजे तक	11.07.2022 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
Dewatering and restoration of pond in zone-5 (bhaiapur, faleda banger, rampur khadar, anwargadh, momdabad kheda, Dhanpura mehandipur, siroli bangar, sultanpur) year Wc-6	₹ 82.05 लाख ₹ 1000.00+G.S.T ₹ 1,64,500.00 12 माह	27.06.2022	08.07.2022 सांय 5.00 बजे तक	11.07.2022 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
Dewatering & Restoration of pond in Zone-6 YEA (Village-Kallupura Jaunchara makshudpur Bhunna taga Muradgarhi Chakbeerampur Mayana Akalpur Bhikanpur & Bhora	₹ 89.98 लाख ₹ 1000.00+G.S.T ₹ 180,000.00 12 माह	28.06.2022	12.07.2022 सांय 5.00 बजे तक	13.07.2022 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
Maintenance of trees and shrubs on 100mtr wide road (road no 14 and 75mtr road (road No 17 & 18) and 50mtr and 25mtr wide green belt along Sector 32 for two years year Wc-Hort	₹ 97.74 लाख ₹ 1000.00+G.S.T ₹ 195,500.00 24 माह	28.06.2022	12.07.2022 सांय 5.00 बजे तक	13.07.2022 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
Construction of DS Nos (Type-A) & DS Nos (Type-B) Kiosks in Different Location YEA Wc-01	₹ 119.46 लाख ₹ 1000.00+G.S.T ₹ 2,30,000.00 09 माह	28.06.2022	12.07.2022 सांय 5.00 बजे तक	13.07.2022 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
Provision and Laying interlocking tiles including drain in Village-faleda Bangar (including construction of drain) year Wc-06	₹ 105.07 लाख ₹ 1000.00+G.S.T ₹ 3,91,500.00 12 माह	28.06.2022	12.07.2022 सांय 5.00 बजे तक	13.07.2022 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव

11	Construction of temporary approach road to village- nangla jhanu and other village for connectivity to Jewar by providing and laying Interlocking tiles in YEA WC-04	₹0.248.00 लाख ₹0.1500.00+ G.S.T ₹0.4,96,000.00 03 माह	28.06.2022	12.07.2022 साय 5.00 बजे तक	13.07.2022 प्रातः 11.00 बजे तक	का
----	--	--	------------	-------------------------------	-----------------------------------	----

नियम व शर्त:-

1. निविदा शुल्क एवं धरांहर धनराशि मात्र आर.टी.जी.एस. के माध्यम से निविदा में उल्लिखित बैंक खातों में ही जमा करायी जायेगी, जो की निर्धारित तिथि व समय तक
2. निविदा खोले जाने की तिथि, अवकाश घोषित होने की स्थिति में, निविदायें अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
3. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण के पास सुरक्षित है।
4. निविदा प्रपत्र प्राधिकरण की वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com के निविदा लिंक पर उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स का <http://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाइटों को देखते रहें क्योंकि निविदाओं के अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. महाप्रबन्धक (वित्त)।
2. उप महाप्रबन्धक(परियोजना)
3. सम्बन्धित वरिष्ठ प्रबंधक (वर्क सर्किल-Technical/1/2/3/4/6/ASSET/HORTI.)।
4. वरिष्ठ प्रबन्धक (तकनीकी)।
5. प्रबन्धक (ई-टेंडर सेल/ तकनीकी)।

महाप्र

महाप्रबन्धक

13	Providing and fixing interlocking tile from master shahid busse to subhash busse in village - usmanpur YEA WC-06	₹0 10.55 लाख ₹0 500,000+ G.S.T ₹0 21,500.00 06 माह	21.06.2022	30.06.2022 राय 5.00 बजे तक	01.07.2022 प्रारंभ 11.00 बजे तक	तदर्थ	तदर्थ
14	Providing and laying interlocking tiles and drain in village jafabad including construction of drain, yea WC-06	₹0 10.71 लाख ₹0 500,000+ G.S.T ₹0 21,500.00 05 माह	21.06.2022	30.06.2022 राय 5.00 बजे तक	01.07.2022 प्रारंभ 11.00 बजे तक	तदर्थ	तदर्थ
15	Work of boundary wall of shahshah ghat in village atta guran yea WC-06	₹0 11.90 लाख ₹0 500,000+ G.S.T ₹0 24,000.00 06 माह	21.06.2022	30.06.2022 राय 5.00 बजे तक	01.07.2022 प्रारंभ 11.00 बजे तक	तदर्थ	तदर्थ
16	Providing and fixing interlocking tile and construction of drain in village - parsohbalace work YEA WC-06	₹0 12.36 लाख ₹0 500,000+ G.S.T ₹0 25,000.00 03 माह	21.06.2022	30.06.2022 राय 5.00 बजे तक	01.07.2022 प्रारंभ 11.00 बजे तक	तदर्थ	तदर्थ
17	RK interlocking tile including Drain in Village Jauchana YEA WC-06	₹0 12.93 लाख ₹0 500,000+ G.S.T ₹0 26,000.00 06 माह	21.06.2022	30.06.2022 राय 5.00 बजे तक	01.07.2022 प्रारंभ 11.00 बजे तक	तदर्थ	तदर्थ
18	Repairing work of shahshah ghat and panchayat ghat in village-mezokhera YEA WC-06	₹0 15.03 लाख ₹0 500,000+ G.S.T ₹0 30,000.00 06 माह	21.06.2022	30.06.2022 राय 5.00 बजे तक	01.07.2022 प्रारंभ 11.00 बजे तक	तदर्थ	तदर्थ
19	Work of brick drain along main road utrawali to mehhammadpur junction in village utrawali, yea WC-06	₹0 15.55 लाख ₹0 500,000+ G.S.T ₹0 31,500.00 06 माह	21.06.2022	30.06.2022 राय 5.00 बजे तक	01.07.2022 प्रारंभ 11.00 बजे तक	तदर्थ	तदर्थ
20	Providing and laying interlocking tile work in village Karol banger (main-nagla kanchan and nagla chandan) including construction of drain YEA WC-06	₹0 18.19 लाख ₹0 500,000+ G.S.T ₹0 36,500.00 04 माह	22.06.2022	04.07.2022 राय 5.00 बजे तक	05.07.2022 प्रारंभ 11.00 बजे तक	तदर्थ	तदर्थ
21	Balance work of interlocking tile in village chahbeerampur including construction of drain YEA WC-06	₹0 19.10 लाख ₹0 500,000+ G.S.T ₹0 39,000.00 06 माह	22.06.2022	04.07.2022 राय 5.00 बजे तक	05.07.2022 प्रारंभ 11.00 बजे तक	तदर्थ	तदर्थ
22	Construction of Road work panchayat ghat to main road and drain in village - kadapur, YEA WC-06	₹0 20.56 लाख ₹0 500,000+ G.S.T ₹0 41,500.00 06 माह	22.06.2022	04.07.2022 राय 5.00 बजे तक	05.07.2022 प्रारंभ 11.00 बजे तक	तदर्थ	तदर्थ
23	Providing and laying interlocking tiles and drain in village doongapur eelka (dankaur to acheja main road), yea WC-06	₹0 21.31 लाख ₹0 500,000+ G.S.T ₹0 43,000.00 06 माह	22.06.2022	04.07.2022 राय 5.00 बजे तक	05.07.2022 प्रारंभ 11.00 बजे तक	तदर्थ	तदर्थ
24	Construction of chabutra and shed for shahshah ghat and approach brick kharaj road in village-Choski, YEA WC-06	₹0 21.31 लाख ₹0 500,000+ G.S.T ₹0 43,000.00 06 माह	22.06.2022	04.07.2022 राय 5.00 बजे तक	05.07.2022 प्रारंभ 11.00 बजे तक	तदर्थ	तदर्थ
25	Construction of Brick Drain along main road in village Ajay Nagar YEA WC-06	₹0 21.71 लाख ₹0 500,000+ G.S.T ₹0 44,000.00 06 माह	22.06.2022	04.07.2022 राय 5.00 बजे तक	05.07.2022 प्रारंभ 11.00 बजे तक	तदर्थ	तदर्थ
26	Providing and laying interlocking tiles work in village ramber including construction of drain, yea WC-06	₹0 22.58 लाख ₹0 500,000+ G.S.T ₹0 45,500.00 05 माह	22.06.2022	04.07.2022 राय 5.00 बजे तक	05.07.2022 प्रारंभ 11.00 बजे तक	तदर्थ	तदर्थ
27	Providing and laying interlocking tiles on para both side in village choski, yea WC-06	₹0 23.15 लाख ₹0 500,000+ G.S.T ₹0 46,500.00 06 माह	23.06.2022	06.07.2022 राय 5.00 बजे तक	07.07.2022 प्रारंभ 11.00 बजे तक	तदर्थ	तदर्थ
28	Providing and laying brick & RC on Gajpur bypass (Mada devchandur road in village - danapur, yea WC-06	₹0 24.74 लाख ₹0 500,000+ G.S.T ₹0 48,500.00 03 माह	23.06.2022	06.07.2022 राय 5.00 बजे तक	07.07.2022 प्रारंभ 11.00 बजे तक	तदर्थ	तदर्थ
29	Providing and fixing interlocking tile in village chandrola and sharon khant YEA including construction of Drain YEA WC-06	₹0 25.70 लाख ₹0 500,000+ G.S.T ₹0 52,000.00 06 माह	23.06.2022	06.07.2022 राय 5.00 बजे तक	07.07.2022 प्रारंभ 11.00 बजे तक	तदर्थ	तदर्थ
30	Dewatering and Restoration of pond in village Banvatiba YEA WC-06	₹0 27.81 लाख ₹0 500,000+ G.S.T ₹0 56,000.00 12 माह	23.06.2022	06.07.2022 राय 5.00 बजे तक	07.07.2022 प्रारंभ 11.00 बजे तक	तदर्थ	तदर्थ
31	Providing and laying dry brick (Hhadanja) interlocking tiles and brick drain in village (thak hhadanja), yea WC-06	₹0 28.09 लाख ₹0 560,000+ G.S.T ₹0 57,500.00 04 माह	23.06.2022	06.07.2022 राय 5.00 बजे तक	07.07.2022 प्रारंभ 11.00 बजे तक	तदर्थ	तदर्थ

75

13	Providing and laying brick to King the trough in village Chakriya, YFA W.C. 05	₹ 10.55 लाख ₹ 500,000+ G.S.T ₹ 21,500.00 08 मीटर	21.06.2022	30.06.2022 साय 5.00 बजे तक	01.07.2022 प्रातरु 11.00 बजे तक	तदव	तदव
14	Providing and laying brick to King the trough in village Chakriya, YFA W.C. 05	₹ 10.55 लाख ₹ 500,000+ G.S.T ₹ 21,500.00 08 मीटर	21.06.2022	30.06.2022 साय 5.00 बजे तक	01.07.2022 प्रातरु 11.00 बजे तक	तदव	तदव
15	Construction of boundary wall of the main channel in village Chakriya, YFA W.C. 05	₹ 11.93 लाख ₹ 500,000+ G.S.T ₹ 24,000.00 06 मीटर	21.06.2022	30.06.2022 साय 5.00 बजे तक	01.07.2022 प्रातरु 11.00 बजे तक	तदव	तदव
16	Providing and laying brick to King the trough in village Chakriya, YFA W.C. 05	₹ 12.30 लाख ₹ 500,000+ G.S.T ₹ 25,000.00 09 मीटर	21.06.2022	30.06.2022 साय 5.00 बजे तक	01.07.2022 प्रातरु 11.00 बजे तक	तदव	तदव
17	Providing and laying brick to King the trough in village Chakriya, YFA W.C. 05	₹ 12.93 लाख ₹ 500,000+ G.S.T ₹ 26,000.00 06 मीटर	21.06.2022	30.06.2022 साय 5.00 बजे तक	01.07.2022 प्रातरु 11.00 बजे तक	तदव	तदव
18	Providing and laying brick to King the trough in village Chakriya, YFA W.C. 05	₹ 15.03 लाख ₹ 500,000+ G.S.T ₹ 30,000.00 06 मीटर	21.06.2022	30.06.2022 साय 5.00 बजे तक	01.07.2022 प्रातरु 11.00 बजे तक	तदव	तदव
19	Providing and laying brick to King the trough in village Chakriya, YFA W.C. 05	₹ 15.55 लाख ₹ 500,000+ G.S.T ₹ 31,500.00 06 मीटर	21.06.2022	30.06.2022 साय 5.00 बजे तक	01.07.2022 प्रातरु 11.00 बजे तक	तदव	तदव
20	Providing and laying brick to King the trough in village Chakriya, YFA W.C. 05	₹ 18.19 लाख ₹ 500,000+ G.S.T ₹ 36,500.00 04 मीटर	22.06.2022	04.07.2022 साय 5.00 बजे तक	05.07.2022 प्रातरु 11.00 बजे तक	तदव	तदव
21	Providing and laying brick to King the trough in village Chakriya, YFA W.C. 05	₹ 19.18 लाख ₹ 500,000+ G.S.T ₹ 39,000.00 06 मीटर	22.06.2022	04.07.2022 साय 5.00 बजे तक	05.07.2022 प्रातरु 11.00 बजे तक	तदव	तदव
22	Construction of road work panchnaya in village Chakriya, YFA W.C. 05	₹ 20.56 लाख ₹ 500,000+ G.S.T ₹ 41,500.00 08 मीटर	22.06.2022	04.07.2022 साय 5.00 बजे तक	05.07.2022 प्रातरु 11.00 बजे तक	तदव	तदव
23	Providing and laying brick to King the trough in village Chakriya, YFA W.C. 05	₹ 21.31 लाख ₹ 500,000+ G.S.T ₹ 43,000.00 06 मीटर	22.06.2022	04.07.2022 साय 5.00 बजे तक	05.07.2022 प्रातरु 11.00 बजे तक	तदव	तदव
24	Construction of brick to King the trough in village Chakriya, YFA W.C. 05	₹ 21.31 लाख ₹ 500,000+ G.S.T ₹ 43,000.00 06 मीटर	22.06.2022	04.07.2022 साय 5.00 बजे तक	05.07.2022 प्रातरु 11.00 बजे तक	तदव	तदव
25	Construction of brick to King the trough in village Chakriya, YFA W.C. 05	₹ 21.71 लाख ₹ 500,000+ G.S.T ₹ 44,000.00 06 मीटर	22.06.2022	04.07.2022 साय 5.00 बजे तक	05.07.2022 प्रातरु 11.00 बजे तक	तदव	तदव
26	Providing and laying brick to King the trough in village Chakriya, YFA W.C. 05	₹ 22.58 लाख ₹ 500,000+ G.S.T ₹ 45,500.00 05 मीटर	22.06.2022	04.07.2022 साय 5.00 बजे तक	05.07.2022 प्रातरु 11.00 बजे तक	तदव	तदव
27	Providing and laying brick to King the trough in village Chakriya, YFA W.C. 05	₹ 23.15 लाख ₹ 500,000+ G.S.T ₹ 46,500.00 06 मीटर	23.06.2022	00.07.2022 साय 5.00 बजे तक	07.07.2022 प्रातरु 11.00 बजे तक	तदव	तदव
28	Providing and laying brick to King the trough in village Chakriya, YFA W.C. 05	₹ 24.24 लाख ₹ 500,000+ G.S.T ₹ 49,500.00 03 मीटर	23.06.2022	00.07.2022 साय 5.00 बजे तक	07.07.2022 प्रातरु 11.00 बजे तक	तदव	तदव
29	Providing and laying brick to King the trough in village Chakriya, YFA W.C. 05	₹ 25.76 लाख ₹ 500,000+ G.S.T ₹ 52,000.00 06 मीटर	23.06.2022	00.07.2022 साय 5.00 बजे तक	07.07.2022 प्रातरु 11.00 बजे तक	तदव	तदव
30	Dewatering and restoration of 2 pond in village Chakriya, YFA W.C. 05	₹ 27.13 लाख ₹ 500,000+ G.S.T ₹ 56,000.00 12 मीटर	23.06.2022	00.07.2022 साय 5.00 बजे तक	07.07.2022 प्रातरु 11.00 बजे तक	तदव	तदव
31	Providing and laying brick to King the trough in village Chakriya, YFA W.C. 05	₹ 28.19 लाख ₹ 500,000+ G.S.T ₹ 57,500.00 09 मीटर	23.06.2022	00.07.2022 साय 5.00 बजे तक	07.07.2022 प्रातरु 11.00 बजे तक	तदव	तदव

46	Installation and laying interlocking tiles and construction of drain in village shra. (Bhaini) (Bhaini) WC-06	₹ 32.60 लाख ₹ 500,000 + G.S.T ₹ 66,000.00 09 माह	23.06.2022	06.07.2022 सायं 5.00 बजे तक	07.07.2022 प्रातरु 11.00 बजे तक	तदंग	तदंग
47	Temporary laying of kharka work in village Farah (Farah) home to primary school (FA) WC-06	₹ 32.90 लाख ₹ 500,000 + G.S.T ₹ 66,000.00 12 माह	23.06.2022	06.07.2022 सायं 5.00 बजे तक	07.07.2022 प्रातरु 11.00 बजे तक	तदंग	तदंग
48	Providing and laying interlocking tiles and drain in village bhaita, yea WC-06	₹ 41.71 लाख ₹ 500,000 + G.S.T ₹ 83,500.00 09 माह	24.06.2022	07.07.2022 सायं 5.00 बजे तक	08.07.2022 प्रातरु 11.00 बजे तक	तदंग	तदंग
49	Cost of interlocking tile material radha trishan mande and madusa including drain in village. (meha) dandur yea WC-06	₹ 47.15 लाख ₹ 500,000 + G.S.T ₹ 94,500.00 08 माह	24.06.2022	07.07.2022 सायं 5.00 बजे तक	08.07.2022 प्रातरु 11.00 बजे तक	तदंग	तदंग
50	Providing and laying interlocking tiles and construction of drain in village mutana (Bhaini) work (yea) WC-06	₹ 57.88 लाख ₹ 1,000,000 + G.S.T ₹ 1,00,000.00 09 माह	24.06.2022	07.07.2022 सायं 5.00 बजे तक	08.07.2022 प्रातरु 11.00 बजे तक	तदंग	तदंग
51	Remaining interlocking tile work in village Bhaini yea (including construction of drain) yea WC-06	₹ 54.27 लाख ₹ 1,000,000 + G.S.T ₹ 1,02,000.00 09 माह	24.06.2022	07.07.2022 सायं 5.00 बजे तक	08.07.2022 प्रातरु 11.00 बजे तक	तदंग	तदंग
52	Providing and laying interlocking tiles and repair of panchayat ghari in village. (meha) mustatabad (including construction of drain) yea WC-06	₹ 56.73 लाख ₹ 1,000,000 + G.S.T ₹ 1,13,500.00 09 माह	24.06.2022	07.07.2022 सायं 5.00 बजे तक	08.07.2022 प्रातरु 11.00 बजे तक	तदंग	तदंग
53	Cost of boundary wall for 3 nos 11.5 KV electric substation in pocket land in sec-13, YEA WC-01	₹ 60.33 लाख ₹ 1,000,000 + G.S.T ₹ 1,21,000.00 06 माह	24.06.2022	07.07.2022 सायं 5.00 बजे तक	08.07.2022 प्रातरु 11.00 बजे तक	तदंग	तदंग
54	Providing and laying interlocking tiles and drain in village: Bhapur Brahman (including construction of drain) yea WC-06	₹ 66.24 लाख ₹ 1,000,000 + G.S.T ₹ 1,32,500.00 09 माह	24.06.2022	07.07.2022 सायं 5.00 बजे तक	08.07.2022 प्रातरु 11.00 बजे तक	तदंग	तदंग

निविदा सूत्र एवं परस्पर प्रस्तावों मात्र अरटी सी एस के माध्यम से निविदा में उत्तेजित बैंक खातों में ही जमा करायी जायेगी, जो की निर्धारित तिथि य समय तक धाली जानी होगी।
 निर्दिष्ट मूल्य वाले को विधि अनुक्रमण परित होने की स्थिति में, निविदाये अगले कार्य दिवस में धाली जायेगी।
 प्रस्तावों में निर्दिष्ट अनुक्रमण अनुसार निर्माण को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण के पास सुरक्षित है।
 निविदा प्रस्ताव प्रेषित करने के सम्बन्ध में www.yamunaexpresswayauthority.com के निविदा लिंक पर उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन की वेबसाइट <http://etenders.up.nic.in> पर दृष्ट कर सकते हैं। इत्युक्त टेण्डरों से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाइट को देखते रहें क्योंकि निविदाओं के सान्त्व में कोई बदलाव प्रस्ताव को प्रस्तावित न्युनता वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रतिनिधि :- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. महाप्रबन्धक (वित्त)।
2. उप महाप्रबन्धक (परियोजना)।
3. सहायक वरिष्ठ प्रबंधक (नकल-Technical/1/2/3/4/6/ASSET/HORTL)।
4. वरिष्ठ प्रबंधक (संरचना)।
5. प्रबंधक (ई-टेण्डर सेल/ कम्प्यूटरी)।

(405)
17.06.2022
महाप्रबन्धक (परियोजना)
अक्षय

1405
महाप्रबन्धक (परियोजना)
अक्षय

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

द्वितीय तल, कॉमर्शियल प्लॉट नं. 2, रोड नं. 1, गेट नं. 1, गीतापुर नगर (उ.प्र.)

पत्रांक : YEA/GM (P) /2022/591

DATED: 28.06.2022

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित/अर्द्धशासित/सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यों का काम से कम चार वर्ष का अनुभव रखने वाले ठेकेदारों/फर्मों से ई-निविदाये आमंत्रित की जाती है। ई-प्रोक्वोरमेंट पोर्टल/यू.पी.ए. द्वारा निविदाये द्विस्तरीय पद्धति से खोली जायेगी। कार्यालय आदेश संख्या: एई.ई.ए./डी.सी.ई.ओ./149/2013 दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अनुपालन में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की कार्यों में संविदाकार द्वारा बिल ऑफ़ क्वॉन्टिटी (बीओक्यू) पर डाले गये 10 प्रतिशत कम दरों तक 0.5 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर तथा उसके परचात 10 प्रतिशत से अधिक कम दरों पर 1.00 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर सिक्वोरिटी/परफॉर्मन्स गारन्टी प्राप्त की जायेगी तथा परफॉर्मन्स गारन्टी एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/बैंक गारन्टी/एन0एस0सी0 के रूप में न्यूनतम संविदाकार द्वारा अनुबन्ध गठन से पूर्व देनी होगी, जो कार्य के अन्तिम बीजक होने के बाद वापिस होगी।

क्र.सं	कार्य का नाम	अनुमानित लागत / निविदा पत्र का मूल्य (अप्रतिबंध) परोक्ष घनराशि / कार्य पूर्ण करने की अवधि	ई-प्रोक्वोरमेंट द्वारा ई-निविदा जारी करने की तिथि	ई-प्रोक्वोरमेंट द्वारा निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि तथा साय, जिराके साय टेण्डर मूल्य व घोषण पत्राणि की RTGS की रसीद संलग्न करनी है।	ई-प्रोक्वोरमेंट द्वारा ई-निविदा से प्रोक्वोरमेंट खोलने की तिथि तथा समय	ई-प्रोक्वोरमेंट द्वारा ई-निविदा को प्राईस बिड खोलने की तिथि तथा समय	ई-निविदा खोलने का स्थान
1	Construction of boundary wall of Barat Ghar in village Salarpur yea. WC-06	₹0 25.41 लाख ₹0 500.00+G.S.T ₹0 51000.00 06 माह	29.06.2022	11.07.2022 साय 5.00 बजे तक	12.07.2022 प्रातः 11.00 बजे तक	इसकी सूचना वेब साइट पर 11-07-2022 को प्रकाशित किया गया है। कार्य दिवस उपरान्त देखा जा सकता है।	कार्यालय निविदा तल, प्रशासनिक भवन, कॉमर्शियल प्लॉट नं. 2, रोड नं. 1, गेट नं. 1, गीतापुर नगर
2	Providing and applying retro reflective road marking strips in 120m wide road (from Salarpur under p. ss to Dhanori village) Between sector 17 and 18, yea. WC-1	₹0 17.82 लाख ₹0 500.00+G.S.T ₹0 36000.00 06 माह	29.06.2022	11.07.2022 साय 5.00 बजे तक	12.07.2022 प्रातः 11.00 बजे तक	तदर्थ	तदर्थ
3	Barbed wire fencing work of 50mtr wide green belt along 100mtr wide road no 12 in sector 28 for yea. WC-Horti	₹0 17.33 लाख ₹0 500.00+G.S.T ₹0 35000.00 03 माह	29.06.2022	11.07.2022 साय 5.00 बजे तक	12.07.2022 प्रातः 11.00 बजे तक	तदर्थ	तदर्थ
4	Barbed wire fencing work of 25 mtr wide green belt along 75mtr wide road no 13 in sector 29 for yea. WC-Horti	₹0 30.12 लाख ₹0 500.00+G.S.T ₹0 69500.00 03 माह	29.06.2022	11.07.2022 साय 5.00 बजे तक	12.07.2022 प्रातः 11.00 बजे तक	तदर्थ	तदर्थ
5	Barbed wire fencing work of 25 mtr wide green belt along 75mtr wide road no 13 in sector 28 for yea. WC-Horti	₹0 31.89 लाख ₹0 500.00+G.S.T ₹0 64000.00 03 माह	29.06.2022	11.07.2022 साय 5.00 बजे तक	12.07.2022 प्रातः 11.00 बजे तक	तदर्थ	तदर्थ
6	P/o trees shrubs in cent al verge and both side patri 45m wide road sec 24 and balance 120mtr wide road central verge & both side patri in fron. of sec 22E and 22D with two years maintenance for yeida. WC-Horti	₹0 58.03 लाख ₹0 1000.00+G.S.T ₹0 116500.00 27 माह	29.06.2022	11.07.2022 साय 5.00 बजे तक	12.07.2022 प्रातः 11.00 बजे तक	तदर्थ	तदर्थ
7	Barbed Wire Fencig work of remaining 25mtr Wide green belf owards Sector-33 on Road No 18 between Sector 33 and Sector 9 for Yea, WC-Horti	₹0 15.20 लाख ₹0 500.00+G.S.T ₹0 30500.00 03 माह	29.06.2022	11.07.2022 साय 5.00 बजे तक	12.07.2022 प्रातः 11.00 बजे तक	तदर्थ	तदर्थ
8	Dalance Work of R.c.c Drain and culvert along 60mtr Wide road Near at Ch.12.500 km in YEA WC-01	₹0 25.72 लाख ₹0 500.00+G.S.T ₹0 52000.00 03 माह	29.06.2022	11.07.2022 साय 5.00 बजे तक	12.07.2022 प्रातः 11.00 बजे तक	तदर्थ	तदर्थ
9	Barbed wire fencing work of 50mtr wide green belf along 100mtr wide road on 14 in Sector 29 for yea. WC-Horti	₹0 33.45 लाख ₹0 500.00+G.S.T ₹0 67000.00 03 माह	29.06.2022	11.07.2022 साय 5.00 बजे तक	12.07.2022 प्रातः 11.00 बजे तक	तदर्थ	तदर्थ
10	Construction of Link Road (Kharajja work) From Sakka to Bhatta in YEA WC-06	₹0 18.78 लाख ₹0 500.00+G.S.T ₹0 38000.00 03 माह	30.06.2022	12.07.2022 साय 5.00 बजे तक	13.07.2022 प्रातः 11.00 बजे तक	तदर्थ	तदर्थ
11	Construction work of Shamshan ghat (Chabutra Shed & Path interlocking Tiles) in Village - Mohammedpur Gurjar & Sakka- Bhatta yea WC-06	₹0 20.75 लाख ₹0 500.00+G.S.T ₹0 42000.00 06 माह	30.06.2022	12.07.2022 साय 5.00 बजे तक	13.07.2022 प्रातः 11.00 बजे तक	तदर्थ	तदर्थ
12	Dewatering & Restoration of pond in Village-Dhanori Khurd, YEA WC-06	₹0 09.68 लाख ₹0 500.00+G.S.T ₹0 20.000.00 03 माह	30.06.2022	12.07.2022 साय 5.00 बजे तक	13.07.2022 प्रातः 11.00 बजे तक	तदर्थ	तदर्थ

14	Barbed wire fencing work of 50mtr Wide green belt along 100mtr wide road no 13 in Yamuna Expressway	₹ 26.95 लाख ₹ 50000+G.S.T ₹ 540000.00 05 माह	30.06.2022	12.07.2022 साय 5.00 बजे तक	13.07.2022 प्रातः 11.00 बजे तक	तदर्थ	तदर्थ
14	Providing and laying Interlocking Tiles & Drain in Village-Kadalpur WC-06	₹ 93.91 लाख ₹ 1000.00+G.S.T ₹ 1080000.00 12 माह	30.06.2022	12.07.2022 साय 5.00 बजे तक	13.07.2022 प्रातः 11.00 बजे तक	तदर्थ	तदर्थ
15	Construction work of Shamshanghat (chabutra and shed) and Interlocking tile work in village Wailana, YEA WC-06	₹ 54.13 लाख ₹ 1000.00+G.S.T ₹ 1090000.00 06 माह	30.06.2022	12.07.2022 साय 5.00 बजे तक	13.07.2022 प्रातः 11.00 बजे तक	तदर्थ	तदर्थ
16	Providing and fixing Interlocking Tiles in village Kallupura (including construction of drain) YEA WC-6	₹ 47.83 लाख ₹ 500.00+G.S.T ₹ 960000.00 12 माह	30.06.2022	12.07.2022 साय 5.00 बजे तक	13.07.2022 प्रातः 11.00 बजे तक	तदर्थ	तदर्थ

नियम त शर्त:-

1. निविदा शुल्क एवं घोहर धनराशि मात्र आर.टी.जी.एस. के माध्यम से निविदा में उल्लेखित बैंक खातों में ही जमा करायी जायेगी, जो की निर्धारित तिथि व समय तक डाली जानी होगी।
2. निविदा खोलने की तिथि, अवकाश घोषित होने की स्थिति में, निविदाये अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
3. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण के पास सुरक्षित है।
4. निविदा प्रपत्र प्राधिकरण की वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com के निविदा लिंक पर उत्तर प्रदेश इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक टेकंदारों से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाइटों को देखते रहें क्योंकि निविदाओं के समय में कोई संशोधन अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महाप्रबन्धक (परियोजना)

1. महाप्रबन्धक (वित्त)।
2. उप, महाप्रबन्धक (परियोजना)।
3. सम्बन्धित वरिष्ठ प्रबंधक (वर्क सर्किट-Technical/1/2/3/4/6/ASSET/HORT)।
4. वरिष्ठ प्रबन्धक (तकनीकी)।
5. प्रबन्धक (ई-टेंडर सोल/ तकनीकी)।

(441)
20.6.2022
महाप्रबन्धक (परियोजना)

79

24

Annexure R-12



यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

रिजिस्टर्ड कार, कॉन्सिडर ऑफिस, सेक्टर डीपेन-1, बेल्ट पार्क सिटी - 201308, गीतापुरवर्मा (उ.प्र.)
दूरभाष नं - 0120 - 2306100 फ़ैक्स नं - 0120 - 2306100

दिनांक 22.12.2022

वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित तालाबों/पोखरों की साफ-सफाई/संरक्षण हेतु कार्य का अवार्ड/निविदा प्रक्रिया का ग्रामवार विवरण :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	तालाबों की संख्या	विवरण
1	Moonjkhera	01	Awarded
2	Dhanori Khurd	01	Awarded
3	Bhaipur Bharrnan	01	Awarded
4	Faleda Bangar,	02	Awarded
5	Rampur Khadar	01	Awarded
6	Anwargarh	01	Awarded
7	Momdabad Kheda	02	Awarded
8	Mehandipur	01	Awarded
9	Siroli Bangar	01	Awarded
10	Sultanpur	01	Awarded
11	Dhanpura	01	Awarded
12	Kallupura	02	Awarded
13	Jaunchana	01	Awarded
14	Maksudpur	01	Awarded
15	Bhunna Tagge	01	Awarded
16	Muradgarhi	02	Awarded
17	Chakveerampur	01	Awarded
18	Mayana	01	Awarded
19	Akalpur	02	Awarded
20	Bhikanpur	01	Awarded
21	Bhoyra	01	Awarded
22	Dyorar	01	Awarded
23	Ahmadpur Choroli	01	Tender Process
24	Sabota Mustfabad	03	Tender Process
25	Banwaribas	02	Awarded
	TOTAL.	33	

(Handwritten signatures)

Annexure R-13

80




GPS Map Camera

Amarpur Palka, Uttar Pradesh, India
Siroli banger, 6GHX+CRG, Amarpur
Palka, Uttar Pradesh 203209, India
Lat 28.228699°
Long 77.54937°
23/12/22 01:01 PM GMT +05:30



Google



GPS Map Camera

Amarpur Palka, Uttar Pradesh, India
Siroli banger, 6GHX+HPJ, Amarpur
Palka, Uttar Pradesh 203209, India
Lat 28.228846°
Long 77.549517°
23/12/22 01:00 PM GMT +05:30



Google



GPS Map Camera

Amarpur Palka, Uttar Pradesh, India
Siroli banger, 6GHX+HPJ, Amarpur
Palka, Uttar Pradesh 203209, India
Lat 28.228847°
Long 77.549519°
23/12/22 01:00 PM GMT +05:30



Google



GPS Map Camera

Amarpur Palka, Uttar Pradesh, India
Siroli banger, 6GHX+CRG, Amarpur
Palka, Uttar Pradesh 203209, India
Lat 28.228478°
Long 77.549479°
23/12/22 01:02 PM GMT +05:30




Google

[Handwritten signature]

*Prat
Mg*

8/1




Bhunna Taga, Uttar Pradesh, India
 6JX7+X85, Bhunna Taga, Uttar Pradesh 203209, India
 Lat 28.24917° Long 77.614931°
 23/12/22 12:11 PM GMT +05:30

GPS Map Camera




Bhunna Taga, Uttar Pradesh, India
 Bhunna Taga Rd, Bhunna Taga, Uttar Pradesh 203209, India
 Lat 28.249619° Long 77.615114°
 23/12/22 12:09 PM GMT +05:30

GPS Map Camera



Bhunna Taga, Uttar Pradesh, India
 Bhunna Taga Rd, Bhunna Taga, Uttar Pradesh 203209, India
 Lat 28.249624° Long 77.615118°
 23/12/22 12:09 PM GMT +05:30

GPS Map Camera



Bhunna Taga, Uttar Pradesh, India
 Bhunna Taga Rd, Bhunna Taga, Uttar Pradesh 203209, India
 Lat 28.248836° Long 77.615275°
 23/12/22 12:12 PM GMT +05:30

GPS Map Camera

Bad mgs

gdl

82



82

Plot



82